

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

9 मार्च, 1981

खंड 1 अंक 1

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार 9 मार्च 1981

पृष्ठ संख्या

राज्यपाल का अभिभाषण (सदन की मेज पर रखी गई प्रति)	(1)1
भाोक प्रस्ताव	(1)15
अध्यक्ष द्वारा घोशणा	
1. पैनल आफ चेयरमैन	(1)27
2. कमेटी आन पैटी ांज	(1)27
सचिव द्वारा घोशणा	
राज्यपाल/राश्ट्रपति द्वारा अनुमति दिये गये बिलों सम्बन्धी	(1)27
बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट	(1)28
वि ेशाधिकार मामलों के सम्बन्ध में प्रिविलिज कमेटी का प्रिलिमिनरी रिपोर्टस पे ा करना तथा अन्तिम रिपोर्टस पे ा करने के लिये समय बढ़ाना	(1)30

<p>1. 17 दिसम्बर, 1980 को स्वामी आदित्यवे T एम0एल0ए0 द्वारा चौधरी संत कंवर, एम0एल0ए0 के विरुद्ध लगाये लगे आरोपी सम्बन्धी</p>	<p>(1)30</p>
<p>2. 10 जुलाई, 1980 को इस महान सदन के माननीय सदस्यसों के लिये क्षोभक तथा अपमानजनक भाशा प्रयोग करने के सम्बन्ध में डा0 मंगल सैन, एम0एल0ए0 के विरुद्ध अभिकथित वि ेशाधिकार भंग करने के प्र न सम्बन्धी</p>	<p>(1)33</p>
<p>सदन की मेजन पर रखे गये / पुनः रखे गये कागज-पत्र</p>	<p>(1)36</p>

हरियाणा विधान सभा

सोमवार 9 मार्च, 1981

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़, में 15.22 बजे हुई। अध्यक्ष (कर्नल राव राम सिंह) ने अध्यक्षता की।

राज्यपाल की अभिभाषण

(सदन की मेज पर रखी गई प्रति)

श्री अध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, हरियाणा विधान सभा के रूलज आफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 18 के अनुसार मैने यह सूचना देनी है कि कांस्टीच्यू इन के आर्टिकल 176(1) के अनुसार राज्यपाल महोदय ने आज 9 मार्च, 1981 को 2 बजे बाद दोपहर हरियाणा विधान सभा के सामने एड्रैस देने की कृपा की। एड्रैस की एक कापी आन दी टेबल आफ दी हाउस रखी जाती है।

“अध्यक्ष महोदय तथा आदरणीय सदस्यगण”

हरियाणा विधान सभा के इस वर्ष के पहले अधिवे इन में आप सब का स्वागत करते हुये मुझे बडी प्रसन्नता हो रही है।

हमारे बीच तीन नये सदस्य है जो पिछले वर्ष के मेरे अभिभाषण के बाद इस सदन में शामिल हुये है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ।

मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई है कि अनेकों प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी राज्य गत वर्ष के दौरान सामाजिक न्याय और सर्वांगीण प्रगति का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये निरन्तर गति मिल रहा है वास्तव में कुछ दिनाओं में बहुत ही उपयोगी नये और समयबद्ध कार्यक्रम सफलतापूर्वक आरम्भ किये गये हैं मेरी सरकार की आर्थिक नीति का मुख्य प्रयास कृषि और औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना और जनसाधारण, विशेषतः अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, गरीबों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के रहन-सहन के स्तर को बेहतर बनाने के लिये सामाजिक, आर्थिक और भौक्षिक विकास के लिये सभी सम्भव सुविधायें जुटाना है इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये मेरी सरकार ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी नीतियां और कार्यक्रम बनाये है जिनसे भीघ्र ठोस परिणाम प्राप्त किये जा सकें।

माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि राज्य की छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85), जिसे हाल ही में अन्तिम रूप दिया गया है, को गत वर्षों की अपेक्षा में काफी बढ़ौतरी दी गई है जो कि बेमिसाल है। 1800 करोड़ रुपये का परिव्यय पांचवी पंच-वर्षीय योजना से तिगुनी वृद्धि का संकेत देता है।

चालू वर्ष के लिये सं तोधित योजना परिव्यय 253.78 करोड़ रूपये है जबकि पिछले वर्ष की वार्षिक योजना में यह परिव्यय केवल 219.76 करोड़ रूपये था। वर्ष 1981-82 के लिये 290.00 करोड़ रूपये की अन्तिम योजना स्वीकृत की गई है।

मेरी सरकार पिछड़े वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिये उन्हे हर सम्भव सहायता देने के लिये बहुत उत्सुक रही है। इस उद्दे य के लिये 2.00 करोड़ रूपये की प्राधिकृत पूंजी से "हरियाणा पिछड़े वर्ग कल्याण निगम" स्थापित किया गया है। यह निगम राज्य के विभिन्न जिलों में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करेगा। निगम द्वारा पात्र सदस्यों को नाममात्र ब्याज दन स्वतः रोजगार साइकिल/रिक् गा की खरीद, भवन निर्माण इत्यादि के लिये सीधे कर्ज देने की स्कीमों से पिछड़े वर्गों के सदस्यों में रोजगार और उदमय सम्बन्धी कु ालतायें पैदार करने में सहायता मिलेगी। यह निगम उत्पादन तथा प्रि ाक्षण केन्द्र, कच्चा -माल-डिपो स्थापित करने तथा जहां आव यक हो वहां मार्किटिंग तथा तकनीकी सहायता देने पर भी विचार कर रहा है। यह निगम हर तरह से प्रयत्न करेगा कि इन वर्गों के लिये पहले से प्रचलित योजनाओं, जैसे वजीफे, बैंक कर्जे, भाहरी तथा देहाती क्षेत्रों में मकान बनाने और स्वतः रोजगार स्कीमों से पूरा-2 लाभ हासिल किया जाये।

गरीबी दूर करना हमारे सुनियोजित आर्थिक विकास का मुख्य उद्दे य है। 1978-79 के आंकड़ों के अनुसार गरीबी की

सीमा-रेखा से नीचे रहने वाला लगभग 3.21 लाख परिवारों का सबसे बड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों का है। गरीबी की सीमा रेखा से उपर लाने के लिये 1980-81 की वार्षिक योजना में 50000 से अधिक ऐसे परिवारों के लिये एक "विशेष अंगभूत योजना" (Special Component Plan) चालू की गई थी। योजना कार्यक्रमों के अधीन प्राप्त होने वाले सामान्य लाभों में अतिरिक्त, 1981-82 के लिये कुल योजना परिव्यय का लगभग 12.26 प्रतिशत "विशेष अंगभूत योजना" के लिये नियत करने का प्रस्ताव है, ताकि 50000 और परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जा सके और कृषि अपज की विशेष योजनाओं, दुधारूपशुओं की सप्लाई, औद्योगिक यूनिटों की स्थापना तथा स्वतः रोजगार के लिये प्रशिक्षण के माध्यम से उनके स्तर को गरीबी की सीमा रेखा से उपर लाया जा सके। देहाती विकास के अनेक कार्यक्रमों के अन्तर्गत खर्च किये जाने वाले धन का लगभग 66 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लाभ के लिये रखा गया है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये दो अन्य ऐसे समयबद्ध कार्यक्रम हैं, जिनका उल्लेख करना आवश्यक है। जून, 1981 तक राज्य की सभी हरिजन बस्तियों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त होने ही वाला है। इसके अतिरिक्त 1981-82 के दौरान 10 प्रतिशत हरिजन घरों में एक प्वायंट वाले घरेलू कनेक्शन दे दिये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों के प्लेटों के अलाट करने सम्बन्धी शिकायतों को दूर करने और सभी अलाटियों को मार्च, 1981 के अन्त तक कब्जा दे देने के लिये एक अभियान चलाया

गया है। इसी प्रकार, सभी उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने के लिये कड़ी हिदायतें जारी की गई हैं कि राज्य की समूची फालतू भूमि न केवल अलाट ही कर दी जाये, अपितु 31-3-1981 तक उसका कब्जा भी दे दिया जाये। ऐसे अलाटियों में बहुत बड़ी संख्या अनुसूचित जातियों के लोगों की है।

जनता की एक और मालिक आवयकता आवास है जिसकी ओर मेरी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। राज्य आवास बोर्ड इस वर्ष 4000 और नये मकान बनायेगा जिससे भाहरी क्षेत्रों में इसके द्वारा बनाये गये मकानों की कुल संख्या 11065 हो जायेगी। हम चाहते हैं कि जहां तक हो सके कम से कम समय के अन्दर ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों को राहत देने के लिये मकानों का प्रबन्ध किया जाये। वर्ष 1981-82 के लिये राज्य के ग्रामीण तथा भाहरी क्षेत्रों में 10000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 75 प्रतिशत से अधिक मकान कमजोर वर्गों के लिये रखे जायेंगे।

जैसा कि माननीय सदस्यों को पता ही है, हमारे राज्य में कइ ऐसे क्षेत्र हैं, जो बहुत ही पिछड़े हुये रहे हैं। मेवात एक ऐसा ही क्षेत्र है। इसके तेजी से विकास के लिये पिछले साल मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में मेवात विकास बोर्ड बनाया गया था। 1980-81 के दौरान इस क्षेत्र के लिये 1.25 करोड़ रुपये की विशेष स्कीमें मंजूर कर दी गई हैं और कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों से लाभ मिलना भी भुरू हो गया है। उदाहरण के तौर पर हथीन,

फिरोजपूर झिरका और नगीना में औद्योगिक प्र शिक्षण संस्थानों ने काम करना भी शुरू कर दिया है। इनमें 200 लड़कों ने प्रवेश ले लिया है। सिंचाई का विस्तार करने और रोजका मेव, हथीन, और नूंह में औद्योगिक सम्पदायें स्थापित करने का काम काफी आगे बढ़ चुका है। कृषि, डेरी, वन-धन आदि में सुधार लाने के लिये स्कीमें भी चलाई गई है ताकि इस क्षेत्र के लोगों के लिये रोजगार के अधिक से अधिक अवसर जुटाए जा सकें और इसके सर्वांगीण विकास के लिये आवश्यक आधार तैयार किया जा सके। वर्ष 1981-82 के इस क्षेत्र की स्कीमों के लिये रखी गई धन राशि को और बढ़ाने का प्रस्ताव है।

निर्धन और जरूरतमन्द लोगों को राहत देने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि समाज के उस वर्ग को सहायता दी जाए जो बहुत मुश्किल में है और यह वर्ग है गरीब और दीन अभियुक्तों का जिन पर मुकदमें चल रहे हैं किन्तु जो अपने वकील को फीस भी नहीं दे सकते। यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्र सरकार की नीतियों के अनुसार उच्च न्यायालय के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों को निशुल्क कानूनी सहायता देने सम्बन्धी स्कीम के लिये 1981-82 के दौरान धन-राशि का प्रावधान किया जाये।

माननीय सदस्यों को पता ही है कि राज्य के सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिये वर्ष राज्य सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह सन्तोश

का विशय है कि लक्ष्य के अनुसार यह कार्य मार्च, 1981 के अन्त तक पूरा हो जायेगा और पहाडी क्षेत्र एवं खादर के कुछ गांवों को छोड कर राज्य के सभी गांवों को सडकों से जोड दिया जायेगा। यह कार्य किसानों के लिये अपनी उपज मण्डियों तक भीघ्र ले जाने के लिये वरदान सिद्ध होगा।

राज्य के कृशि विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण बात जो विशेष ध्यान देने योग्य है, यह है कि कृशि और सम्बद्ध क्षेत्र में बिजली की खपत मे बहुत अधिक वृद्धि हुई है। वास्तव में, यह इस दिशा में हो रही निरन्तर प्रगति का प्रतीक है। माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अब हम उस स्थिति में पहुंच गये है, जहां हमारी लगभग 40 प्रतिशत बिजली की खपत कृशि और उससे सम्बन्धित क्षेत्रों में हो रही है। हमसब के लिये यह अत्यन्त ही सन्तोश का विशय है कि अब नाथपा-झाकरी त्रिपक्षीय समझौते को केन्द्र के सहयोग से अन्तिम रूप दे दिया गया है। यह हमारे राज्य में भविश्य की बिजली आवकतायें जुटाने की बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। सभी सम्भव यत्न किये जायेंगे कि यह योजना कम से कम समय में पूरी कर लीय जये ताकि राज्य की कृशि तथा उद्योग विकास से सम्बन्धित आवकताएं पूरी हो जाएं। एक और उत्साहवर्धक बात यह है कि राज्य में नलकूपों की संख्या में अपूर्व वृद्धि हुई है, जो अब 3 लाख से अधिक पहुंच चुकी है। मार्च, 1981 तक 20000, और नलकूपों को बिजली देने का लक्ष्य पहले ही पार किया जा चुका है।

विभिन्न आर्थिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के हमारे प्रयास को राज्य के कुछ क्षेत्रों में आई बाढ़ों, सूखे और ओलों जैसी प्राकृतिक आपदाओं से गहरा धक्का पहुंचा है। मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, 1980 और फरवरी, 1981 में ओले पड़े। जुलाई, 1980 में बाढ़े आयी और हद यह है कि सितम्बर और अक्टूबर, 1980 के दौरान कुछ जिलों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों से किसानों को बहुत हानि पहुंची। मेरी सरकार ने हर मामले में तुरन्त राहत पहुंचाई। ओलों के कारण जिन किसानों की फसलें नष्ट हुयीं, उनको दी जाने वाली सहायता की दर 100-300 रुपये से बढ़ाकर 200-400 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई थी। किसानों को भूमि-जोत-कर में ढील व छूट देने और तकावी कर्जों की वसूली को स्थगित करने की भावना में और भी अधिक राहत दी गई। उन किसानों को भी पर्याप्त राहत दी गई, जिन्हें बाढ़ और सूखा के कारण हानि पहुंची। इसके अतिरिक्त, 210.14 लाख रुपये की राशि बीज, खाद और चारे की खरीद के लिये तकावी कर्जों के रूप में बांटने के लिये उपायुक्तों को दी गई है। किसानों को रियायती दरों पर चारा और बीज उपलब्ध कराये गये जिस पर केवल सूखाग्रस्त इलाकों में 39.50 लाख रुपये का खर्च हुआ। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, जिले हाल ही में अधिक व्यापक रूप देकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का नाम दिया गया है, सीमित उपलब्ध केन्द्रीय सहायता से चलाया गया ताकि प्रभावित क्षेत्रों में उपयोगी रोजगार जुटाये जा सकें। बाढ़ के पानी को खेतों से निकालने हेतु सिंचाई विभाग

को 2 करोड़ रुपये की राशि दी गई। बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को दवाइयों उपलब्ध कराने के लिये 23 लाख रुपये की राशि खर्च की गई और इसके अतिरिक्त पशुओं की चिकित्सा पर 24 लाख रुपये की राशि खर्च की गई। भारत सरकार ने बाढ़ राहत सहायता के रूप में 3.93 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी। 3.75 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भारत सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को राहत पहुंचाने के लिये उपलब्ध की।

हाल ही की पर्याप्त भीतकालीन वर्षा से किसानों में नई आशा जगी है और मैं आशा करता हूँ कि अनेक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चालू वर्ष के दौरान राज्य में खद्यान्न उत्पादन चरम स्तर पर पहुंच जायेगा। मेरी सरकार द्वारा भीषण बाढ़ को रोकने के लिये गत तीन वर्षों के दौरान किये गये प्रयासों के लाभ मिलने शुरू हो गये हैं और अनुमान है कि इस अवधि में कम से कम 2 लाख एकड़ अत्यधिक बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र को बाढ़ों से बचा लिया गया है। बाढ़-नियन्त्रण के लिये 138 करोड़ रुपये की लागत वाले "मास्टर प्लान" के अन्तर्गत विभिन्न बाढ़ बचाव स्कीमों पर वर्ष 1981-82 में 17.50 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जायेगी।

कृषि हरियाणा के लोगों का मुख्य व्यवसाय है इसलिये मेरी सरकार कृषि के विकास और कृषि उत्पादन को अधिक से अधिक करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती आ रही है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये मेरी सरकार सिंचाई की

व्यवस्था के लिये लगातार यत्न मिले हैं। नये क्षेत्रों को सिंचाई अधीन लाने और वर्तमान जल स्रोतों के संरक्षण की स्कीम चलाई गई है। वर्ष 1980-81 में बड़ी और माध्यम सिंचाई स्कीमों पर 48.15 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है जिसे वर्ष 1981-82 के दौरान बढ़ाकर 59.50 करोड़ रुपये कर देने का प्रस्ताव है इसमें पंजाब क्षेत्र में सतलूज-यमुना योजक पर खर्च किये जाने के लिये प्रस्तावित 6 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। हरियाणा क्षेत्र में इस योजक नहर का निर्माण-कार्य लगभग पूरा हो चुका है। यह खेद का विषय है कि राज्य और केन्द्र स्तर पर यथा सिद्ध इस काम को भुरु करने के प्रयत्नों के बावजूद पंजाब-क्षेत्र में निर्माण-कार्य अभी तक भुरु नहीं किया गया है।

जल-मार्गों को पक्का करने की वि. व. बैंक सहायता प्राप्त परियोजना के प्रथम चरण का कार्य सन्तोषजनक ढंग से हो रहा है। चालू वर्ष के दौरान इस परियोजना पर 20.00 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। प्रथम चरण के पूरा होने पर लगभग 25 करोड़ वर्ग फुट जल-मार्ग पक्का करने का काम पूरा हो जायेगा जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1500 क्येसेक पानी की बचत होगी जिससे 1.37 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई की जा सकेगी और प्रतिवर्ष 20 करोड़ रुपये के मूल्य की अतिरिक्त फसलों का उत्पादन होगा। इसी प्रकार, हरियाणा लघु-सिंचाई (नलकूप) निगम द्वारा चालू वर्ष के दौरान 1080 लाख रुपये के अनुमानित परिव्यय से 1655 किलोमीटर लम्बे 410

खाल पक्के किये गए हैं और इस निगम द्वारा वर्ष 1981-82 के दौरान 2438 किलोमीटर अतिरिक्त खालों को पक्का करने का प्रस्ताव है। सिवानी और लोहारू उठान सिंचाई स्कीम पर निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और जवाहर लाल नेहरू उठान सिंचाई पर निर्माण कार्य काफी आगे बढ़ चुका है इन स्कीमों के लिये वर्ष 1981-82 में 12.70 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

मेरी सरकार राज्य में बिजली की कमी को पूरा करने के लिये बिजली के उत्पादन और वितरण की ओर विशेष ध्यान दे रही है। हमारे बिजली उत्पादन कार्यक्रम का मुख्य प्रयास यह है कि भीष्म आर्थिक विकास के साधनों को व्यापक बनाया जाये और जीवन-स्तर को, विशेषतः किसानों और समाज के कम सुविधा पाने वाले वर्गों के जीवन-स्तर को, उंचा उठाने के लिये बिजली जुटाई जाये। इस गरिमामय सदन में मेरे, गत अभिभाषण के बाद, पानीपत में दूसरा 110 मैगावाट का थर्मल यूनिट और फरीदाबाद में तीसरा 60 मैगावाट का थर्मल यूनिट चालू हो गया है। आगामी वर्षों में बिजली सप्लाई की कठिन स्थिति की समीक्षा को ध्यान में रखते हुये पानीपत थर्मल बिजली परियोजना के दूसरे तथा तीसरे चरण को भूरू करने का समय आगे बढ़ा लिया गया है ताकि छठी योजना के दौरान ही लाभ मिलने निश्चित हो जाये। इसके अतिरिक्त, 64 मैगावाट पिचमी यमुना नहर पर बिजली परियोजना पर निर्माण कार्य तेज कर दिया गया है।

इसी तरह, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा को ब्यास परियोजना के चरण II के अन्तर्गत देहर बिजली घर में 165-165 मैगावाट और पौंग बिजली घर में 60-60 मैगावाट के दो-दो अतिरिक्त यूनिटों से लाभ प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।

मेरी सरकार ने भविष्य का सामना करने के लिये बिजली उत्पादन हेतु अग्रिम आयोजना पर ध्यान केन्द्रित किया हुआ है। यमूनानगर में एक 800 मैगावाट के थर्मल बिजली संयंत्र की योजना बनाई गई है। मैं नाथपा-झाकरी योजना का वर्णन पहले ही कर चुका हूँ। इस योजना के द्वारा मुख्यतः हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के संयुक्त लाभ के लिये 1020 मैगावाट बिजली का उत्पादन होगा। केन्द्रीय बिजली उत्पादन परियोजनाओं से हिस्सा जैसे बैरा सिउल (54 मैगावाट) सलाल पन बिजली परियोजना (66 मैगावाट) तथा सिंगरौली सुपर थर्मल बिजली घर (141 मैगावाट) हरियाणा राज्य को पहले ही आंबटित हो चुका है। इसी प्रकार, अन्तर्राज्य परियोजना थीन से बिजली उत्पादन में हरियाणा राज्य का उचित दावा भी जोरदार ढंग से किया जा रहा है।

राज्य के जल तथा बिजली स्रोतों को बढ़ाने के अतिरिक्त, मेरी सरकार कृषि उपज बढ़ाने के लिये सघन कृषि तथा बेहतर कृषि वैज्ञानिक तरीकों को प्रोत्साहन दे रही है। वर्ष 1981-82 के दौरान विभिन्न फसलों के 175650 क्विंटल उन्नत बीज बांटने का प्रस्ताव है जबकि इसके मुकाबले वर्ष 1980-81 में

158800 क्विंटल बीजों के वितरण की प्रत्याशा है। वर्ष 1981-82 में 3 लाख टन रासायनिक खादों के वितरण का लक्ष्य है जबकि वर्ष 1980-81 में यह लक्ष्य 2.36 लाख टन था। पौधा संरक्षण कार्य की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है और वर्ष 1980-81 के दौरान 1.42 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में कपास, गन्ना और तिलहन पर हवाई छिड़काव करने का प्रस्ताव है जबकि गत वर्ष यह छिड़काव केवल 0.23 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में किया गया था।

यह मेरी सरकार तथा राज्य के परिश्रमी किसानों के निरन्तर तथा समिमिलित प्रयत्नों का ही परिणाम है कि आज हरियाणा के मैदान हरित क्रांति की चमक से जगमगा रहे हैं। उठाये गये विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप ही, वर्ष 1981-82 के लिये खाद्यान उत्पादन का लक्ष्य 68.20 लाख टन रखा गया है। गन्ना तथा तिलहनों के मामले में यह लक्ष्य क्रमशः 7.00 लाख टन तथा 1.55 लाख टन नियत किया गया है जबकि वर्ष 1980-81 के दौरान यह प्रत्याशित उपलब्धि क्रमशः 5.50 लाख टन तथा 1.48 लाख टन है। राज्य सरकार किसानों को उनकी फसलों के उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये वचनबद्ध है। हाल ही में गन्ने का मूल्य दिया गया है। जिससे गन्ना उत्पादकों के लिये लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो गया है, यद्यपि इससे राजकोश पर काफी भार पड़ा है। भविष्य में भी कृषकों के हितों की रक्षा करने के हमारे प्रयत्नों में कमी नहीं आयेगी।

कृषि उपज बढ़ाने के लिये प्रयास करने के साथ—2 मेरी सरकार राज्य की क्षेत्रीय असमानताओं के प्रति भी जागरूक हैं रोहतक, महेन्द्रगढ़, भिवानी और हिसार के सूखासम्भावी और बंजर क्षेत्रों के विकास की और विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों के लिये सामान्य खर्च के अतिरिक्त वर्ष 1980—81 में सूखा सम्भावी क्षेत्र कार्यक्रम और मरुस्थल विकास कार्यक्रम के लिये 3.46 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। ताकि प्राकृतिक और मानवीय साधनों के अधिक से अधिक उपयोग के लिये आधारभूत सुविधाओं के माध्यम से इन क्षेत्रों की अर्थ—व्यवस्था को सुधारा जा सके।

कृषि उत्पादन को बढ़ाने की और ध्यान देने के साथ—साथ मेरी सरकार ने किसानों की बिक्री योग्य फालतू उपज के ठीक प्रकार से भंडार करने और उसके विपणन के लिये सभी सम्भव कदम उठाये हैं हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने वि.व. बैंक की सहायता से 125 नई मंडिया स्थापित करने की बहुत बड़ी योजना बनाई है। इस परियोजना के पहले चरण में 25.43 करोड़ रुपये की लागत से 26 मंडियों का विकास किया जा रहा है। आशा की जाती है कि ये 26 मंडियां निर्धारित समय में अर्थात् जून, 1982 तक पूरी हो जायेगी। हरियाणा भांडागार निगम ने चालू वित्त वर्ष में 5000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले भांडागारों का निर्माण किया है और 71.500 मीट्रिक टन की क्षमता वाले भांडागार निर्माणाधीन है और 30 अप्रैल 1981 तक तैयार हो

जायेगें । निगम ने वर्ष 1981-82 में 2.27 करोड रूपये की लागत से 80000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले भांडागारों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है ।

मेरी सहकार छोटे और सीमान्त किसानों, कृषि तथा अन्य श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों, कृषि श्रमिकों और अन्य दलित वर्गों की कमजोर आर्थिक स्थिति के प्रति भी जागरूक हैं । उनकी आय को बढ़ाने तथा उन्हें निर्धनता सीमा रेखा से उपर उड़ाने के लिये राज्य के सभी विकास खंडों में समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम (Integrated Rural Development Programme) को लागू कर दिया गया है । इस प्रयोजन के लिये चालू वर्ष में 3.36 करोड रूपये की राशि का उपबन्ध किया गया है । तथा नई पद्धति के अनुसार इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 लख रूपये प्रति खंड खर्च किये जायेगें आगामी वित्त वर्ष के लिये इस राशि को बढ़ा कर 6 लाख रूपये प्रति खंड कर देने का प्रस्ताव है और 1981-82 के लिये 5.34 करोड रूपये का कुल उपबन्ध किया गया है ।

पहले की तरह, सहकारी क्षेत्र कृषि उत्पादन तथा समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करने में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है । प्राथमिक सहकारी कृषि ऋण तथा सेवा मितियों, जो "मिनी बैंक" के नाम से प्रसिद्ध है । ने सहकारी वर्ष 1980-81 में 92.36 करोड रूपये के अल्पावधि तथा मध्यावधि ऋण दिये हैं और वर्ष 1980-81 और 1981-82 में अल्पावधि ऋण क्रमशः 125.00 करोड रूपये और 130.00 करोड रूपये देने का

लक्ष्य निर्दिष्ट किया गया है। कमजोर वर्गों के लिये ऋण देने की राशि जो कि कुल योग का 40 प्रतिशत है, छठी योजना के अन्त तक बढ़ कर लगभग 50 प्रतिशत हो जायेगी। इसके अतिरिक्त 'मिनी बैंक' उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण और कृषि उपयोगी वस्तुओं जैसे रासायनिक खाद और बीज आदि की सप्लाई को निरन्तर आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली खरीफ के दौरान सूखे की भयंकर स्थिति को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय किया गया था कि खेतिहरों को राहत देने के लिये कुल 50.00 करोड़ रुपये के खरीफ कर्जों में से 16.23 करोड़ रुपये के अल्पावधि कृषि कर्जों की मध्यावधि कर्जों में बदल दिया जाये। सहकारी वर्ष 1979-80 के दौरान हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक ने दुधारू पशुओं, कृषि उपकरणों, ट्रैक्टरों की खरीद तथा नलकूप लगाने, क्यूं खोदने, भूमि सुधार आदि पर खर्च के लिये 2692.13 लाख रुपये के दीर्घावधि कर्जें दिये हैं, जबकि इस कार्य के लिये लक्ष्य केवल 2500.00 लाख रुपये निर्धारित किया गया था।

हरियाणा राज्य सहकारी सप्लाई एवं विपणन संघ (हैफेड) ने सहकारी वर्ष 1979-80 के दौरान 4746.40 लाख रुपये की कृषि उपज बेची जबकि वर्ष 1977-78 के दौरान 3288.99 लाख रुपये की उपज बेची गई थी। इस उद्देश्य के लिये वर्ष 1980-81 और वर्ष 1981-82 में क्रमशः 4200.00 लाख रुपये और 4600.00 लाख रुपये का लक्ष्य निर्दिष्ट किया गया है। हैफेड ने डींग में एक कपास संसाधन केन्द्र खोल दिया है जिसने पिछली

फरवरी से काम आरम्भ कर दिया है छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजय सरकार द्वारा हिस्सा पूंजी के रूप में 135.00 लाख रूपये की वित्तीय सहायता से भट्टूकलां या सिरसा मे एक और सहकारी कताई मिल लगाने का कार्यक्रम बनाया गया है।

प णुपालन, डेरी विकास, मतस्य पालन और वानिकी सम्बंधित क्षेत्रों में मेरी सरकार विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों मे बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिये विभिन्न योजनायें कार्याविन्त कर रही है। हरियाणा सहकारी डेरी विकास संघ ने सहकारी वर्ष 1979-80 के दौरान 925.29 लाख रूपये के मूल्य के दूध उत्पादकों की बिक्री की। प णुपालन विभाग का वर्ष 1981-82 के दौरान 50 नई प णु डिस्पैसरियां खोलने और 25 डिस्पैसरियों/प णुपालन केन्द्रों का स्तर बढ़ाकर उन्हें हस्पताल-प्रजनन केन्द्र बना देने का प्रस्ताव है। महेन्द्रगढ़ जिला में भी एक नई सघन प णुधन विकास परियोजना स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है। पिछले कुछ वर्षों में सामाजिक वानिकी (Social forestry) के बढ़ते महत्व को ध्यान में रखते हुये वन विभाग के राजय के प्रत्येक विकास खण्ड में 1.00 लाख पौधे लगाने की एक महत्वाकांक्षी स्कीम तैयार की है ओर ये पौधे क्षेत्रों के किनारों पर लगाये जायेंगे। प्रत्येक जिले के 2 खण्डों को "एक वृक्ष प्रति बच्चा कार्यक्रम" के अन्तर्गत लाने का भी प्रस्ताव है। राज्य में वन स्रोतों का सुधार करने, भू-संरक्षण उपायों को

अपनाने और वन्य जीवों के विकास के लिये वार्षिक योजना 1981-82 में 350.00 लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है।

मेरी सरकार राज्य के औद्योगिक विकास को अत्याधिक महत्व दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का जाल बिछाना तथा उसे रोजगार के लिये एक प्रभावी संयंत्र बनाना, मेरी सरकार की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिये उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन उपलब्ध कराये गये हैं, जिसके परिणामस्वरूप गांवों में 4000 से भी अधिक छोटी इकाइयों की स्थापना हो गई है जिनसे 31 दिसम्बर, 1980 तक 11000 व्यक्तियों को रोजगार मिला है, जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत व्यक्ति समाज के कमजोर वर्गों से हैं। चालू वित्त वर्ष के लिये 2400 इकाइयों की स्थापना की नियत लक्ष्य पूरा हो जाने की सम्भावना है क्योंकि दिसम्बर, 1980 के अन्त तक लगभग 1500 इकाइयों की स्थापना पहले ही हो चुकी है। ग्रामीण उद्योगों के उत्पादनों की बिक्री में उनकी सहायता करने के लिये, हरियाणा राज्य लघु उद्योग एवं निर्यात निगम ने अनेक जिला मार्किटिंग केन्द्र खोल दिये हैं। गत वर्ष के दौरान निगम ने ग्रामीण उद्योगों द्वारा उत्पादित 118 लाख रुपये मूल्य की वस्तुयें बेची हैं। आर्थिक विशमताओं तथा क्षेत्रीय असंतुलनों को कम करने के उद्देश्य से मेरी सरकार पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास की ओर विशेष ध्यान दे रही है। गुड़गावा तथा फरीदाबाद जिलों का मेवात क्षेत्र हाल में ही औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया गया है

तथा राज्य के अन्य कुछ क्षेत्रों नामतः झज्जर, नारायणगढ़, कालका, पूरा सिरसा जिला तथा हिसार जिले के भोश क्षेत्र को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र घोषित करने का मामला भारत सरकार के साथ उठाया गया है। उद्योग स्थापित करने सम्बन्धी कार्यों के तीव्र निपटान और उद्यमकर्ताओं को एक ही स्थान से सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, सरकार ने हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकारी प्राप्त तालमेल समिति तथा उद्योग निदेशक के अधीन एक कार्यकारी यूनिट जिसे " औद्योगिक सहायता ग्रुप" कहते हैं, की स्थापना की है। आशा की जाती है कि इससे उद्योग क्षेत्र को बहुत अधिक सहायता मिलेगी तथा राज्य में औद्योगिक विकास तीव्र गति से होगा। राज्य में औद्योगिक विकास के लिये उठाये गये अनेक उन्नतिकारक प्रयासों के फलस्वरूप आज हरियाणा में औद्योगिक गतिविधियां जोरों पर हैं। हरियाणा राज्य के बनने के बाद लघु उद्योग इकाइयों की संख्या लगभग छः गुणा बढ़ गई है, अर्थात् 4519 से बढ़कर 28000 से भी अधिक हो गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य में 233 बड़े तथा मध्यम दर्जे की इकाइयां हैं जिनमें 95000 कामगार काम करते हैं और प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपये के मूल्य का माल तैयार होता है। चालू वर्ष के दौरान निर्यात माल का कुल मूल्य 100 करोड़ रुपये के लक्ष्य को छू लेगा जबकि हरियाणा बनने के समय निर्यात केवल 4.85 करोड़ रुपये वार्षिक ही था।

मेरी सरकार इस तथ्य के प्रति जागरी है कि जब तक लोगों की भौक्षिक प्रगति के लिये उन्हें उचित सुविधायें प्रदान नहीं की जाती तब तक उन्हें दी गई किन्हीं अन्य सुविधाओं से उनके जीवन स्तर को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। अतः मेरी सरकार भौक्षिक सुविधाओं के विसतार पर विशेष जोर दे रही है, विशेष रूप से देहाती क्षेत्रों में। 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये सर्वजनीन और निशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने के लिये अनेक उपाय किए गए हैं। चालू वर्ष के दौरान 152 प्राइमरी स्कूलों का स्तर बढ़ा कर उन्हें मिडल स्कूल बनाया गया है और 105 मिडल स्कूलों को उच्च स्तर का बना दिया गया है। केवल इसी के परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान 89.00 लाख रुपये और 1981-82 में 104 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा। प्राइमरी स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों को आकर्षित करने के लिये दोपहर-भोजन के कार्यक्रम को 34.23 लाख रुपये की लागत से राज्य के सभी 117 शिक्षा खण्डों में चालू कर दिया गया है जबकि गत वर्ष इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 83 खण्डों में लड़कियों तथा समाज के कमजोर वर्गों की भौक्षिक प्रगति के लिये उनके विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियां तथा अन्य प्रोत्साहन देने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। शिक्षा की प्रगति में गैर-सरकारी स्कूलों द्वारा निभाई जा रही महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न उपाय किये हैं कि उनके प्रयत्नों में धन का अभाव आड़े न आये। इसे ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 1.4.1980 से उनके घाटे

का 75 प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में उन्हें दिया जाये। आगे यह निर्णय भी लिया गया है कि जहां संशोधित वेतनमानों का सम्बन्ध है। 1.4.1981 से गैर-सरकारी स्कूलों के कर्मचारियों को उनके बराबर के सरकारी स्कूलों में कर्मचारियों के समान कर दिया जाये। शिक्षा विभाग के प्रशासनिक ढांचे को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शिक्षा निदेशालय को दो भागों में बांटने का निर्णय लिया गया है तथा दो अलग-अलग निदेशालय, एक उच्चतर शिक्षा के लिये और दूसरा स्कूल शिक्षा के लिये बनाये जा रहे हैं। मेरी सरकार ने उच्चतर शिक्षा की उन्नति के लिये भी उनके कदम उठाये हैं। जनवरी 1980 से अप्रैल, 1980 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा 10 गैर-सरकारी कालिजों को अपने अधिकार में ले लिया गया है। ऐसा उनके प्रबन्धकों की प्रार्थना पर किया गया है, क्योंकि वे धनाभाव के कारण इन्हें चलाने में असमर्थ थे। अन्य गैर-सरकारी कालिजों को अनुदान की अदयगी करने के लिये 1.73 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी बजट में की गई है। मार्च 1980 में अपनाये गये संशोधित फार्मूले के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि गैर-सरकारी कालिजों में घाटे की परिगणना करने के लिये पिछले वर्ष के अनुदान को आय के तौर पर न गिना जाये।

खेलकूद, जो शिक्षा एवं अनुशासन में सहायक है, की ओर भी निरन्तर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस वर्ष खेलकूद विभाग द्वारा 33 खेलकूद स्कीमे चलाई जा रही है, जबकि इसकी

तुलना में गत वर्ष केवल 11 स्कीमें ही चलाई गई थी। चालू वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न खेलकूद विकास स्कीमों पर 34 लाख रुपये की राशि खर्च की जायेगी और वर्ष 1981-82 में इसके लिये 60 लाख रुपये का उपबन्ध किया गया है।

मेरी सरकार स्वास्थ्य रक्षा की पर्याप्त सुविधाओं, विशेष रूप से देहाती क्षेत्रों में की आवश्यकता के प्रति भी जागरूक है। चालू वर्ष के दौरान सात नये सहायक चिकित्सा केन्द्र खोले गये हैं। सोहन, पलवल, जगाधरी और चौटाला में सामान्य हस्पतालों के लिये नये भवन खोल दिये गये हैं और इसके अतिरिक्त अम्बाला, खरहर, होडल, उपलाना, उकलाना और तिगांव में हस्पतालों की इमारतों के निर्माण के लिये प्रासन्निक स्वीकृति पहले ही जारी कर दी गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य वर्कर्स, दाई प्रशिक्षण, वह उद्देश्य वर्कर्स, आदि से सम्बन्धित स्कीमों को जोर-जोर से चलाया जा रहा है। फरीदाबाद के लिये एक जिला क्षय रोग नियंत्रण केन्द्र स्वीकृत किया गया है। मेरी सरकार, मार्च, 1983 तक जन्म दर कम करके प्रति हजार 30 तक लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम, जोकि पूर्णतः सवैच्छिक आधार पर होगा, को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये भी वचनबद्ध हैं। स्वास्थ्य सुविधायें बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा दिये गये विभिन्न वचनों को ध्यान में रखते वर्ष 1981-82 के लिये 700.00 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है, जबकि चालू वर्ष में 604.00 लाख रुपये का उपबन्ध था।

ग्रामीण जनता के एक बड़े भाग द्वारा पेय जल प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों का पूरा ध्यान रखते हुये राज्य सरकार, ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल सुविधायें बढ़ाने के लिये प्रभावी कदम उठा रही है। वर्ष 1980-81 के दौरान ग्रामीण जल सप्लाई स्कीम के लिये 8.65 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया था और 113 अतिरिक्त गांवों के 31 दिसम्बर, 1980 तक पेय जल की व्यवस्था की गई। आता है कि 31 मार्च, 1981 तक 112 और गांव इस स्कीम के अन्तर्गत आ जायेंगे। इस प्रकार वर्ष 1980-81 के दौरान 225 गांव इस स्कीम के अन्तर्गत आ जायेंगे जबकि लक्ष्य केवल 195 गांवों का रखा गया था। वार्षिक योजना, 1981-82 में 9.70 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है और लगभग 210 गांवों में पेय जल सुविधायें देने का प्रस्ताव है।

ग्रामीण विकास के विभिन्न पहलुओं पर विशेष बल देते समय मेरी सरकार भाहरों ओर नगरों के विकास में भी पीछे नहीं है। वार्षिक योजना 1980-81 में भाहरी जल सप्लाई और मल-निकास स्कीमों के लिये 2.25 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है। जगाधरी, यमुनानगर और सिरसा में भीघ्र ही नई भाहरी सम्पदाये स्थापति की जायेगी। मूल नागरिक सुविधायें जुटाने के मामलों में, उन गन्दी बस्तियों की ओर, जिमें भाहर के गरीब लोग और कारखानों के मजदूर रहते है, मेरी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। भरसक यत्न किया जायेगा कि उनके रहन-सहन की स्थितियों को बेहतर बनाया जाये। भरसक यत्न किया जायेगा

कि उनके रहन-सहन की स्थितियों को बेहतर बनाया जाये। इस निचय का प्रमाण यह है कि योजना आबटन 1979-80 में 50 लाख रूपये से बढा कर 1980-81 में 70 लाख रूपये और 1981-82 में 80 लाख रूपये कर दिया गया है।

राज्य सरकार राज्य परिवहन द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को लगातार बेहतर बनाने के लिये वचनबद्ध है। इस उद्देय की प्राप्ति के लिये बसों की संख्या को तेजी से बढाया जा रहा है। यह संख्या 1979-80 के अन्त में 2400 थी जो 1981-82 के अन्त तक 2800 हो जायेगी। इस वर्ष नये 60 'रूट' बढा दिये गये है तथा और बढाने का विचार है। 11 स्थानों पर आधुनिक बस अड्डे बनाये जा रहे है ओर 1981-82 में और अधिक बस अड्डों का काम भुरू किया जायेगा। इस वर्ष 100 से अधिक बस "क्यू भौल्टर" बनाये गये है और अगले वर्ष भी लगभग इतनी ही संख्या में बस "क्यू भौल्टर" बनाने का विचार है।

जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, राज्य सरकार ने अनूसूचित जातियों, पिछडे वर्गों ओर अन्य कमजोर वर्गों की समाज में सम्मानित स्थिति बनाने के लिये उनकी आर्थिक तथा समाजिक अवसीा को सुधारने का निचय किया हुआ है। उनकी आर्थिक एवं भौक्षिक उन्नति और बेहतर हैसियत को सुनिश्चित करने के लिये बहुत सी स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 1980-81 की वार्षिक योजना में शिक्षा के क्षेत्र में वजीफे, फीस

माफी, अनुसूचित जाति की छात्राओं को योग्यता छात्रवृत्तियां, मैट्रिकोत्तर, छात्र-वृत्तियां, पुस्तक अनुदान, विशेष प्रशिक्षण कक्षाओं आदि स्कीमों के लिये 185.00 लाख रुपये का उपबन्ध है। हरियाणा हरिजन कल्याण निगम का अपनी विभिन्न ऋण सुविधाओं के अधीन वर्ष 1980-81 के दौरान 5000 परिवारों को लाभ पहुंचाने का प्रस्ताव है निगम का वर्ष 1981-82 के दौरान 10000 परिवारों को निजी धन्धे चलाने के लिये वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव है और इस कार्य के लिये 2 करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है।

हम अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष के पहले से ही प्रवेश कर चुके हैं। वर्ष के दौरान, नेत्रहीन, गूंगे बहरे और अन्य विकलांग व्यक्तियों की और इस विचार से अधिकतम ध्यान दिया जायेगा ताकि उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं का जायजा लेने के लिये राज्य भर में विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं का जायजा लेने के लिये राज्य भर में विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया है तथा मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में विकलांगों के लिये एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मेरी सरकार ने सरकारी सेवाओं की श्रेणी III तथा IV के पदों की 3 प्रतिशत रिक्तियां नेत्रहीन, गूंगे-बहरे तथा भारीरिक्त तौर पर विकलांग व्यक्तियों के लिये आरक्षित की है। इसके अतिरिक्त, मेरी सरकार द्वारा नेत्रहीनों के लिये अन्य विभिन्न सुविधायें भी घोषित

की गई है, जैसे तदर्थ कर्मचारियों को, जिन्होंने सन्तोशजनक रूप से सरकारी सेवा का एक वर्ष पूरा कर लिया हो, नियमित करना, "ब्रेल" प्रणाली की पुस्तकों के पुस्तकालयों की स्थापना करना राज्य भर में हरियाणा रोडवेज की गाड़ियों में निःशुल्क यात्रा, सरकारी मकान मिलने में प्राथमिकता देना, इत्यादि।

हरियाणा पर्यटन निगम ने राज्य भर में फैले पर्यटक केन्द्रों की शृंखला में दो नये पर्यटक केन्द्र— सिरसा तथा आसाखेड़ा बढा दिये हैं। पर्यटकों की बढती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुये उन्हें आराम पहुंचाने के उद्देश्य से चालू वित्त वर्ष के अन्त तक बड़खल झील सूरजकुंड, सोहना होडल, गुडंगांव तथा फरीदाबाद पर्यटक केन्द्रों में और कमरे बढाये जा रहे हैं। नागरिक उड्डयन विभाग राज्य में नागरिक उड्डयन गतिविधियों के विकास के लिये निरन्तर कर रहा है। लडकियों तथा अनूसूचित जातियों के उम्मीदवारों को उत्तम रियायती दरों पर उड्डयन-प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिंजौर में एक पक्की हवाई पट्टी तथा वर्क हाप का निर्माण लगभग मुकम्मल हो गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के साथ परामर्श से रोहतक में हवाई पट्टी बनाने के लिये स्थान का सर्वेक्षण किया गया है।

निरन्तर औद्योगिक वृद्धि के लिये भ्रान्ति का वातारण अनिवार्य है, जो तब तक सम्भव नहीं है जब तक कि श्रमिकों के हितों को ठीक से समझा न जाये और उनकी सुरक्षा न की जाये। मेरी सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपयों का यह पत्यक्ष परिणाम

है कि चालू वर्ष के दौरान समूची श्रम स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। लगभग सभी व्यवसायों में मजदूरी की न्यूनतम दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ दी गई है, जिसके आधार पर इस समय सभी अनुसूचित व्यवसायों में न्यूनतम मजदूरी 253.50 से 272.50 रुपये प्रति मास हैं। श्रम विभाग ने कामगारों द्वारा श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायधिकरणों में अपनी मौलिक मांगों को प्राप्त करने के लिये कानूनी सहायता देने की स्कीम बनाई है।

आम लोगों के जीवन-स्तर को उन्नत करने का प्रयत्न करने के साथ-2, मेरी सरकार अपने कर्मचारियों की आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के प्रति भी पूर्ण रूप से जागरूक है जो विभिन्न स्तरों पर सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को पूरा करने में लग गये हैं। राज्य में कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों के वेतनमान 1.4.1979 से संशोधित किये गये हैं। मेरी सरकार ने 1.1.1980 से विभिन्न वेतनमानों में कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ता की दर भी बढ़ा दी है। इसके अतिरिक्त, हिसार में नियुक्त कर्मचारियों को भी प्रथम बार नगर प्रतिकर भत्ता दे दिया गया है। सेवारत कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं के अतिरिक्त, मेरी सरकार ने पुराने पेंशनियों तथा 1.4.1979 के बाद सेवा निवृत्त होने वालों को पेंशन के एक भाग को 'कम्यूट' करता है और उसके बदले इक्की राशि प्राप्त करता है तो वह 70 वर्ष की आयु पूरा करने के पश्चात् पेंशन की पूरी राशि की बहाली का अधिकारी होगा।

मेरी सरकार ने लोगों को, विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में और उन क्षेत्रों में जहां पर मजदूरों की आबादी है, सस्ते दामों पर आवश्यक वस्तुओं की निरन्तर सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिये अनेको कदम उठाये हैं। गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल राज्य में फैली 5213 सस्ते मूल्य की दूकानों के माध्यम से वितरित की जा रही है। सस्ते मूल्य का कपडा, साबुन, नमक, खाद्य तेल, चाय, दालें, दियासलाईयां अभ्यास पुस्तिकायें, टायर तथा ट्यूब आदि जैसी आवश्यक वस्तुयें उपभोक्ता सहकारी भण्डारों और मिनी बैंको के माध्यम से बेची जा रही है। पांच हजार या इससे अधिक आबादी वाले सभी गांवां में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई का प्रबन्ध किया जा चुका है। आशा की जाती है कि चालू सहकारी वर्ष की समाप्त तक 2000 तथा अधिक जनसंख्या वाले सभी 1600 गांवां में यह सुविधा उपलब्ध हो जायेगी। आवश्यक वस्तुओं में चोर-बाजरी के उन्मूलन के लिये जोरदार अभियान चलाया गया है तथा विभिन्न "नियन्त्रण आदेशों" के अन्तर्गत नियत संग्रहण सीमा को सख्ती से लागू करने के लिये जमाखोरी समाप्त करने के उपायों को तेज किया गया है।

यह हम सब के लिये संतोशप्रद है कि चालू वर्ष के दौरान राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में रही है और इस सम्बन्ध में किये गये अनेक उपायों से न केवल सरकार की छवि बेहतर बनी है, अपितु यह उपय लोगों में विश्वास पैदा

करने का साधन भी बने है। अनूसूचित जातियों और अन्य कमजोर वर्गों की शिकायतों का भीघ्रता से निपटान करने के लिये विशेष प्रयास किये गये है। वर्ष के दौरान फरीदाबाद में एक नया सैनिटेशन डिवीजन बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, रोहतक, गुडगांव, फरीदाबाद तथा सोनीपत जिलों का एक नया पुलिस रेंज बना दिया गया है, जिसका मुख्यालय गुडगांव है। वर्ष के दौरान नये थानों में लगाने तथा अन्य पहरे व चौकसी के कार्यों के लिये एक उप-अधीक्षक पुलिस, 3 निरीक्षकों, 9 उप-निरीक्षकों, 17 सहायक उप-निरीक्षकों, 45 मुख्य सिपाहियों तथा 462 सिपाहियों के अतिरिक्त पद स्वीकृत किये गये है।

माननीय सदस्यगण, गत पैरों में मैने जो कुछ कहा है कि वह इस सफलता का प्रमाण है जो सरकार ने जनता को दिये गये अपने वादों को पूरा करने में प्राप्त की हैं यदि वित्तीय कठिनाईयों न होती तो हम उससे भी कहीं अधिक कर पाते जो कि हम वास्तव में कर पाये है। हमारे योजनाकारों द्वारा अनुमानित विकास की दर को बनाये रखने के लिये हमें साधन जुटाने पड़ेंगे तथा राजस्व प्राप्तियों को बरकत के लिये, कर चोरी रोकने तथा सभी स्तरों पर बचत करने के लिये पग उठाने होंगे। फिर भी विभिन्न करों की वसूली के समय इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा जायेगा कि हमारा करों का ढांचा, व्यापार और वाणिज्य पर अनुचित प्रतिबन्ध न बन जाये। इसे दृष्टि में रखते हुये बिक्री कर ढांचे एवं प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिये एक कराधान समीक्षा

समिति का गठन किया गया है और इसकी कुछेक सिफारि ें पहले ही मेरी सरकार द्वारा कार्याविन्त की जा चुकी है ।

में हरियाणा की जनता, इस गरिमामय सदन में उनके प्रतिनिधियों तथा सभी स्तरों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राज्य में सामाजिक-आर्थिक स्थिति के नया रूप देने में मेरी सरकार को पूर्ण सहयोग दिया। मुझे इस में तनिक भी भांका नहीं है कि हम सबके सामूहिक प्रयासों से हमारे राज्य का भविश्य भानदार और समृद्ध होगा। आइये, हमसब राज्य के सर्वांगीण विकास को बढावा देने के लिये ओर निर्धन एवं पद-दलित वर्ग की द ॥ सुधारने के लिये सद्भावना और सहयोग से एकत्रित हो कर पुनः कार्य में जुट जाये ।

जय हिन्द

भाोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: अब एक मंत्री महोदय भाोक प्रस्ताव रखेंगे ।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन सोवियत संघ के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री अलैक्सी कोसीगन के 18 दिसम्बर, 1980 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है ।

श्री कोसीगिन की जन्म सोवियत संघ में लेनिनग्राड में 20 फरवरी 1904 को हुआ। वह कई श्रम संगठनों से सम्बन्धित

थे। 1940 से 1946 तक वह देा की पीपल कोमीसार्ज के उपाध्यक्ष और फिर अध्यक्ष रहे। उन्होंने 1948 में वित्त मंत्री, 1949 से 1953 तक लघु उद्योग मंत्री और 1953-54 के दौरान उपभोग वस्तु उत्पादन मंत्री के पद पर कार्य किया। बाद में वह कुरुाचेव मन्त्रिमंडल में पहले उपप्रधान मंत्री बने। सन 1964 से 1980 तक वे प्रधान मंत्री रहे। 1980 में स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण उन्होंने प्रधान मंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया। प्रधान मंत्री पद पर रहते हुये उन्होंने सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के कई उच्च पदों का कार्यभार भी सम्भाला।

श्री कोसीगिन भारत के घनिष्ट मित्र थे और उनके भारत के प्रधान मन्त्रियों के साथ गहरे व्यक्तिगत सम्बन्ध रहे। उन्होंने भारत व पाकिस्तान के बीच ताकन्द समझौता कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री कोसीगिन ने भारत-सोवियत सहयोग के नये क्षेत्रों का विकास किया तथा भारत में बोकारो-स्टील प्लांट लगाने के सोवियत निर्णय का श्रेय उन्हीं को जाता है।

उनके निधन से भारत ने एक महान मित्र और भ्रान्ति की नीतियों के समर्थक को खो दिया है। यह सदन दिवगत आत्मा के भाोकाकुल परिवार के सदस्यों और सोवियत संघ की जनता को अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।

यह सदन भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री और प्रसिद्ध न्याय भास्त्री श्री मोहम्मद करीम छागला के 9 फरवरी, 1981 को हुये दुखद निधन पर हार्दिक भावक प्रकट करता है।

श्री छागला का जन्म 30 सितम्बर, 1900 को हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा सेंट जेवियर कालेज, बम्बई और लिंकन-इन्न आक्सफोर्ड से प्राप्त की। 1922 में इन्नर टैम्पल से उन्होंने वकालत में प्रवेश किया। सन 1927 से 1930 राजकीय कालेज, बम्बई में कानून के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1941 से 1947 तक बम्बई हाई कोर्ट में न्यायाधीश तथा सन् 1947 से 1958 तक मुख्य न्यायाधीश के पद का दायित्व निभाया। वह 1947 में बम्बई विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुये। सन् 1955 से 1958 तक वह विधि आयोग के सदस्य रहे। प्रसिद्ध न्याय-भास्त्री श्री छागला वर्ष 1957 में विश्व न्यायालय, हेग के न्यायाधीश रहे। वह 1958 में जीवन बीमा निगम जांच आयोग के अध्यक्ष बने। इसी वर्ष उन्हें अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा में राजदूत नियुक्त किया गया और 1961 तक वह इस पद पर रहे। 1961 में अकाली विवाद को निपटाने के लिये वह दास अयोग के सदस्य नियुक्त हुये। उन्होंने 1962-63 में इंग्लैंड में उच्चायुक्त और आयरलैंड में राजदूत के रूप में कार्य किया।

श्री छागला केन्द्रीय मंत्रीमंडल में 1963 से 1966 तक शिक्षा मंत्री तथा 1966-67 में विदेश मंत्री रहे। उन्हें देशप्रेम, न्याय तथा स्वतन्त्रता से गहरे लगाव के कारण बहुत सम्मान

मिला। उन्होंने का मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारतीय रिश्ट मंडल का नेतृत्व किया। इसके साथ ही उन्होंने कामनवैल्थ रिश्टा कान्फैस, औटावा, 1964-65 में पैरिस में आयोजित यूनैस्को की जनरल कान्फैस और 1967 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय रिश्ट मण्डल का नेतृत्व किया। 1964 से 1967 तक वह राज्य सभा के सदन के नेता रहे।

कई भारतीय और विदेशी विविद्यालयों ने श्री छागला को एल0एल0डी0 की मानद उपाधियां दी। उन्हें 1979 में मानव अधिकारों की विरिश्ट सेवा के लिये यूनैस्को पुरस्कार मिला। प्रसिद्ध न्याय भास्त्री श्री छागला ने विभिन्न विशयों पर पुस्तकें लिखी जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं: “भारतीय संविधान” “ऐन ऐम्बैसेडर स्पीकस” “एजुके ान एण्ड दी ने ान’ और ‘रोजिज इन दिसम्बर’।

उनके निधन से देश एक धर्मनिरपेक्षता की भानदार मूरत, प्रमुख न्याय-ास्त्री, कु ाल राजनीतिज्ञ और अनुभवी सांसद खो बैठा है। यह सदन दिवंगत के भाोकाकुल परिवार के सदस्यों को अपनी दिल्ली हमदर्दी प्रकट करता है।

यह सदन श्रीलंका के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री विलियम गोपालवा के 30 जनवरी, 1981 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री विलियम का जन्म श्रीलंका के डलेबा मटेल नामक स्थान पर 17 सितम्बर, 1897 को हुआ। वह 1924 में सर्वोच्च न्यायालय के अटार्नी-एट-ला बने। वह 1927 से 1939 तक मटेल भाहर परिशद के सदस्य तथा अध्यक्ष रहे। उन्होंने सन् 1939 से 1957 तक कैंडी और कोलम्बो के म्यूनिसिपल कमि नर का दायित्व निभाया। वह 1956 से 1961 तक पीपल्स रिपब्लिक आफ चाइना, 1961 और 1962 में अमेरिका, क्यूबा तथा मैक्सिको में राजदूत रहें उन्होंने 1962 से 1972 में श्रीलंका गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति बने तथा इस पद पर 1978 तक रहे।

यह सदन दिवंगत के भाोकाकुल परिवार के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना भेजता है।

यह सदन असम के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं भूतपूर्व राज्यपाल, मद्रास राज्य, श्री विश्णु राम मेधी के 21 जनवरी, 1981 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री मेधी का जन्म अप्रैल 1888 में असम के कामरूप जिले के गांव हाजों में हुआ। उन्होंने एम0एल0सी0 और कानून की योग्यता प्रैजीडेन्सी कालेज, कलकत्ता ओर ढाका से प्राप्त की। सन् 1915 में उन्होंने गोहाटी में वकालत भुरू की। असहयोग आन्दोलन में वह 1920 में समिमलित हो गये और इस आन्दोलन में भाग लेने के कारण उन्हें 1921 में जेल की यातनाये सहनी पडी। सन् 1938 में वह स्थानीय बोर्ड, गोहाटी के सदस्य ओर अध्यक्ष

तथा 1946 में असम राज्य विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुये। श्री मेधी ने 1946 में असम के वित्त तथा राजस्व मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 1950 में असम के मुख्य मंत्री बने और 1957 में इस पद से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने 1958 से 1964 तक मद्रास राज्य के राज्यपाल का पद सु गोभित किया।

उनके निधन से देश एक महान स्वतन्त्रता सेनानी एवं अनुभवी सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाकाकुल परिवार के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना भेजता है।

यह सदन राज्य सभा के सदस्य श्री सी० वैकटराव के 5 जनवरी, 1981 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाक प्रकट करता है।

श्री सी० वैकटराव का जन्म 1931 में आन्ध्रप्रदेश के गणटूर जिले में नानलीकालू नामक स्थान पर हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा विजयवाडा ओर मद्रास में प्राप्त की। उन्होंने बहुत-सी शिक्षा संस्थाओं और सामाजिक संगठनों की स्थापना की। उन्होंने गरीब लोगों के कल्याण-कार्यों में गहरी रूचि ली।

श्री सी० वैकटराव अप्रैल, 1978 में राज्य सभा के लिये चुने गये थे। राज्य सभा में अपने दो वर्ष के थोड़े समय में उन्होंने संसद की कार्यवाही में महत्वपूर्ण भाग लिया और अपने कार्य के लिये सम्मान प्राप्त किया।

यह सदन दिवंगत के भाोकाकुल परिवार के सदस्यों से अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

यह सदन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधी । श्री एस०बी० कपूर के 23 दिसम्बर, 1980 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक करता है ।

श्री एस० बी० कपूर का जन्म 15 जनवरी, 1907 को हुआ । उन्होंने अपनी शिक्षा इलाहाबाद और आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा बैरिस्टर बने । सन 1931 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस में प्रवे । किया । वह दिल्ली में जिला एवं सै । न जज तथा भारत सरकार के कानून मंत्रालय में विधि सलाहकार और संयुक्त सचिव रहे । उन्होंने अगस्त 1957 से जनवरी 1969 तक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधी । पद को सु । पोभित किया ।

उनके निधन से दे । ने एक प्रमुख कानूनदान खो दिया है । यह सदन दिवंगत के भाोकाकुल परिवार के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

यह सदन पंजाब के विधायक सरदार जसमत सिंह ढिल्लों के 24 दिसम्बर, 1980 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है ।

सरदार जसमत सिंह का जन्म 20 दिसम्बर, 1938 को लाहौर में हुआ । उन्होंने अपनी शिक्षा फरीदकोट और अमृतसर में

प्राप्त की। वह 1980 में फरीदकोट चुनाव क्षेत्र से पंजाब विधान सभा के लिये चुने गये।

सरदार ढिल्लों एक अच्छे वक्ता और प्रमुख सांसद थे। सहकारी आन्दोलन और शिक्षा के प्रसार में उनकी गहरी रुचि थी। उनहोंने पंजाब सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद का दायित्व निभाया तथा 1971 में मास्कों में अन्तर्राष्ट्रीय सहकारी कांग्रेस में भी भाग लिया। वह दामेरा पब्लिक स्कूल के ट्रस्टी और बाबा फरीद महिला कालेज, फरीदकोट की वर्किंग कमेटी के सदस्य थे। वह 1963 से 1965 तक भारत सेवक समाज के अध्यक्ष रहें। सन् 1970-71 और 1973 से 1976 तक वह शिरोमणि अकाली दल की कार्यकारिणी समिति के सदस्य रहे।

उनके निधन से देश एक प्रमुख प्रेमी, समाज सुधारक और सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के भाोकाकुल परिवार के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना भेजता है।

यह सदन पंजाब के भूतपूर्व विधायक एवं प्रमुख पत्रकार श्री राजेन्द्र सिंह के 9 जनवरी, 1981 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

श्री राजेन्द्र सिंह का जन्म 15 अक्टूबर, 1928 को हुआ। उनहोंने छात्र अवस्था से ही आजादी के आन्दोलन में भाग लिया। वह 1954-55 और 1955-56 के दौरान शिरोमणि अकाली दल के

महामंत्री थे। सन् 1965 में वह पंचायती राज अध्ययन टीम के अध्यक्ष बने। वह श्रमजीवी पत्रकार संघ के तीन वर्ष तक प्रधान रहे।

श्री राजेन्द्र सिंह पंजाबी सूबा आन्दोलन के सिलसिले में तीन बार जेल गये। वह 1956 में कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हुये। सन 1957 में वह पंजाब विधान सभा के लिये चुन गये और अप्रैल , 1966 में पंजाब विधान परिषद के लिये लोकल अथारिटी निर्वाचन क्षेत्र, संगरूर से सदस्य बने। उन्होंने 1954, 1956 और 1960 में कई एशियन और यूरोपीय देशों की भी यात्रा की।

उनके निधन से देश में एक अनुभवी पत्रकार तथा सांसद की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के दुखी परिवार के सदस्यों से हार्दिक संवेदना व्यक्त करता है।

यह सदन श्रीमती सावित्री देवी, धर्मपत्नी श्री भगवत दयाल भार्मा राज्यपाल मध्यप्रदेश एवं भूतपूर्व मुख्य मंत्री हरियाणा के दिनांक 26 फरवरी, 1981 को हुये दुखद निधन पर गहरा भाव प्रकट करता है।

श्रीमती भार्मा का जन्म आज से लगभग 60 वर्ष पूर्व हांसी नगर में हुआ। उनहें आरम्भ से ही श्रमिक आंदोलन तथा मजदूरों के कल्याण में गहरी रुचि थी। अपने पति पं. भगवत दयाल भार्मा को उनहोंने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने में पूरी प्रेरणा दी तथा उन्हें पारिवारिक उलझनों से मुक्त रख कर राष्ट्र

वेवा में निरन्तर सहयोग दिया। श्रीमती भार्मा का जीवन उदारता और सेवा भाव का श्रेष्ठ उदाहरण था। आपने न केवल अपने प्रदेश हरियाणा में बल्कि उड़ीसा और मध्यप्रदेश में महिला एवं बाल-कल्याण कार्यों में गहरी रुचि ली।

यह सदन दिवंगत के भाोकाकुल परिवर के सदस्यों की अपनी हार्दिक संवेदना भेजता है।

यह सदन भूतपूर्व संसद सदस्य सर्वश्री होती लाल अग्रवाल, एम0बी0एल0 भार्गव, मुहम्मद लतीफ-डर-रहमान, अर्जुन अरोड़ा, जी0 के0 सिन्हा तथा श्रीमती तारा गोविन्द सपडे और कर्नाटक विधान सभा की उपाध्यक्ष श्रीमति सुनीथि मधिमन के दुखद निधन पर गहरा भाोक प्रकट करता है।

यह सदन दिवंगत आत्माओं के भाोकाकुल परिवारों के सदस्यों को अपनी हार्दिक संवेदना भेजता है।

श्री मूल चन्द जैन(सम्भालखां): अध्यक्ष महोदय, लीडर आफ दि हाउस ने जिन दिवंगत आत्माओं के निधन पर भाोक प्रस्ताव इस हाउस में पे किया है, मैं भी उसका समर्थन करने के लिये खडा हुआ हू। मैं अपनी ओर से भी और अपनी पार्टी की आरे से भी उनके परिवारों के लिये अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ। जहां तक उनके जीवन का ताल्लुक है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप में लीडर आफ दि हाउस ने यहां पर कुछ बातें बतायी है। मैं भी कुछ एक दो बातें एड करना चाहता हूँ। जहां तक श्री

कोसिगिन का सम्बन्ध है, इसमें कोई मुगलता नहीं है कि उनके दिल में हिन्दुस्तान के प्रति बहुत अच्छी भावना थी। जब तक वह अपने देश में सत्ता में रहे, हर मौके पर उन्होंने हिन्दुस्तान की मदद की। हिन्दुस्तान की हिस्ट्री में ऐसे कई मौके आये जब हमारा देश संकट में था और रूस ने बिना किसी गरज के हमारे देश की मदद की। काश्मीर का मामला जब आया तो यूनाइटेड नेशन्स में अगर उसे वीटो पावर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ी तो उसने हमारे हक में वीटो पावर का इस्तेमाल किया। जहां तक हिन्दुस्तान में कारखाने लगाने का सवाल है यहां पर तो सिर्फ एक बोकारो का ही जिक्र आया है, हो सकता है कोसिगिन साहब का पर्सनल इन्ट्रैस्ट इसमें रहा हो लेकिन कितने ही दूसरे ऐसे कारखाने हमारे हिन्दुस्तान में लगे हैं जिनमें रूस ने मदद की हुई है कि उसने यह मदद बिना किसी प्रकार के भावना की भावना दिल में लाते हुये की है। रूस के लीडरों ने मौके मौके पर जब कभी हमारे देश को मदद की जरूरत पड़ी है, मदद की है। इसलिये ऐसे देशों के एक महान नेता के निधन पर कुदरती तौर पर हमें ऐसा लगता है कि हमारा एक निकट का मित्र हमसे जुदा हो गया है। हम उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं।

जहां तक छागला साहब का सम्बन्ध है, मैं समझता हूँ कि वाकई इनके निधन से सारे भारत को ही नहीं बल्कि सारी मानवता को नुकसान हुआ है। छागला साहब एक तरह से इस देश

में जितनी भी कल्चर्ज है, चाहे वह मुस्लिम कल्चर है या हिन्दु कल्चर है या कोई दूसरा कल्चर है, उनके बारे में यह स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि वे सब कल्चर्ज के प्रतीक थे यानि वे एक म्पोजिट कल्चर थे। आदमी कितनी ही उनकी भौतिक उपलब्धियों के बारे में सोच सकता है। कानून के अदायरे में वे बम्बई हाई कोर्ट के पहले जज हुये और चीफ जस्टिस हुये। न सिर्फ हिन्दुस्तान में ही वे जज रहे बल्कि उनहोने वि व न्यायालय में भी कार्य किया। फिर जब एग्जैक्टिव में आये तो भारत सरकार में पहले एजुके ान मिनिस्टर बने फिर फारेन मिनिस्टर बने। मेरा कहने का मतलब यह है कि जीवन के हर पहलू के हिसाब से कोई भी ऐसा पद नहीं था जो उन्होने ग्रहण न किया हो। इतना ही नहीं उन्होने उसे निहायत ही भानदार तरीके से निभाया भी था। स्पीकर साहब, मैं इस हाउस को रिमाइन्ड कराना चाहता हूं कि 1977 में जब दे ा एक संकट में से गुजरा, तब इस महापुरुष ने एमरजैन्सी के दिनों में उसके खिलाफ एक बडा भारी स्टैंड लिया। यानी जो मानवता की वैल्यूज हैरु उन वैल्यूज के समर्थन में और उनको आगे ले जाने में कभी भी उनहोनें सकोच नहीं किया और इस बात की परवाह बिल्कुल भी नहीं की कि हाकिम नाराज होता है या प्रैजेन्ट गवर्नमेंट नाराज होगी। वे बिना किसी बात की परवाह किये ठीक बात के लिये हमें ा समर्थन देते रहे। ऐसा महसूस होता है कि उनके निधन से सारे हिन्दुस्तान को ही नहीं अपितु सारी मानवता तथा हमस ब का बडा भारी नुकसान हुआ है मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की और से उनके परिवार के

प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। और इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। स्पीकर साहब, फ्रीडम फाइर्टर्ज की पीढी धीरे-धीरे हमारे देश से अब उठ रही है। मेरे जैसे आदमी को इस बात का बड़ा अफसोस होता है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपना जीवन इस देश की आजादी की लड़ाई में गुजारा, जेलों में गये, वह पीढी अब खत्म हो रही है। उन्होंने हमारे सामने कुछ वैल्यूज रखी और कुछ मान्यताये रखी। मुझे अफसोस इस बात का है कि वे वैल्यूज धीरे-धीरे खत्म हो रही है। भोक प्रस्ताव तो हर बार हर सदन में आता ही है। मैंने पहले भी कई बार भोक प्रस्ताव पर बोलते हुये कहा है और अब भी यही कहता हूँ कि इस प्रस्ताव को पास करने का हकीकी तौर पर तब फायदा होगा जब हम इन जाने वालों की जीवनियों से कुछ सबक सीखें ओर उन्हें अपने जीवन में अपनाये, अगर हम इन दिवगत आत्माओं के जीवन से कुछ सीखे और सीखकर उन मान्यताओंको अपनाये तो मैं समझता हूँ कि इसका असली मकसद पूरा होगा और हम सबको फायदा होगा।

श्री वैकट राव राज्य सभा के मैम्बर थे। उनके निधन से हमें बड़ा दुख हुआ है।

इसी तरह से श्री कपूर साहब का भी मेरे से सम्बन्ध रहा है वह पंजाब हाई कोर्ट में जज होते थे वे पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट बनने से पहले इसके जज बने। इसके बाद उन्होंने 12-13 साल तक इस पद पर बड़े भानदार तरीके से कार्य किया।

स्पीकर साहब, निजी तौर पर श्री ढिलों के निधन का मुझे बडा अफसोस है। ऐसे नौजवान को ऐक्सीडेंट मे चोट लगी या पता नहीं डाक्टर से टीका गलत लग गया लेकिन वास्तव में उनकी मृत्यु से उनके परिवार को इररिपेयरेबल लौस हुआ है और जो लोग उनको जानते है उनको भी श्री ढिल्लों की मृत्यु का बहुत दुख है।

स्पीकर साहब, श्री राजेन्द सिंह से मेरे पर्सनल सम्बन्ध थे वे बहुत ही उंचे किस्म के व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु का भी हम सब को काफी अफसोस है।

श्रीमती सावित्री देवी ने अपने पति पंडित भगवत दयाल के जीवन में बहुत अधिक साहयोग दिया और जन सेवा के लिये इस देवी ने अपने पति को बिल्कुल बेफिकर कर दिया था। मुझे तो उनके स्वर्गवास होने का यकी नही नहीं आया क्योंकि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था। ऐसा मालूम होता है कि उनको हार्ट अटैक हो गया।

स्पीकर साहब, लीडर आफ दी हाउस ने जो भाोक प्रस्ताव पे ा किया है मैं उस प्रस्ताव में समिमलित होता हूं और अपनी श्रद्धांजलि उन आत्माओं को पे ा करता हूं।

डा० मंगल सैन (रोहतक): अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने सदन में लोक सम्पर्क विभाग की और से जो दिंवगत आत्मायें इस संसार से चली गईं, उनके बारे में दिये गये भाोक

प्रस्ताव को हमारे सामने पढ कर सुनाया। अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, सोवियत संघ के भूतपूर्व प्रधान मंत्री का भी नाम इन दिवंगत आत्माओं में है। इस बात से बडा ही दुख होता है कि इतने बडे आदमी बीमार होते है ओर उनकी बीमारी के बारे में अखबारों में कुछ नहीं छपता। स्पीकर साहब, जो फ्री सोसायटीज है अगर वहां कोई बीमार हो जाता है तो वहां के अखबारों में बीमारी के बारे में छप जाता है और पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है। लेकिन इनका दिवंगत होने के बाद पता लगा। हमारे दे ी के साथ और दूसरे दे ों के साथ इनके कैसे संबंध रहे, स्पीकर साहब इस वक्त यह कोई चर्चा का विशय नहीं है। उन्होंने आडे वक्त में हमारा साथ भी दिया ओर कई प्रकार की सलाह भी दी होगी लेकिन आज संसार में जो घटनायें घट रही है और कई दे ों को पददलित किया जा रहा है वहां की जनता को दास बनाया जा रहा है और अध्यक्ष महोदय, हालत यह है कि भारत की आजादी को भी खतरे वाली बात हो रही है। स्पीकर साहब, इस समय इस तरह की बात कहने का मोका तो नहीं है इसलिये मैं इसको यहीं पर छोडता हूं।

स्पीकर साहब, लंका के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री विलियम गोपालवा का भी स्वर्गवास हुआ है। वे भी अपने जीवन में साधारण स्थान से उड़ कर अपने दे ी के उच्चतम स्थान पर पहुंचे थे। वास्तव में उनका यह प्रयास बडा सराहनीय और मानव मात्र के

लिये आदर्श तथा प्रेरणादायक है। उनके निधन पर यह सदन गहरा दुःख प्रकट करता है।

अध्यक्ष महोदय, इन माहनुभावों में स्वर्गीय श्री छागला का नाम भी लिखा हुआ है। स्पीकर साहब, दिसम्बर महीने में अपने राजनैतिक दल के वार्षिक अधिवेशन में मैं बम्बई गया था। वहां मैंने उनके अन्तिम दर्शन किये थे। अध्यक्ष महोदय, वे वृद्ध अवस्था में परन्तु उनकी वाणी में नौजवानों वाला जोश था। वे भारत की 65 करोड़ जनता के प्रतीक थे। उन्होंने बम्बई में कहा था कि भारत की आजादी को प्राप्त करने की लड़ाई एक पीढ़ी ने लड़ी थी लेकिन आजादी को कायम रखने की लड़ाई आपने लड़नी है। स्पीकर साहब,, उनके गुणों की जितनी भी प्रशंसा की जाये वह थोड़ी है। अध्यक्ष महोदय, यू0एन0ओ0 में खड़े होकर जब उनहोंने भाषण दिया तो निसंकोच भाव से उनहोंने कहा था कि मैं मुस्लिम जरूर हूँ लेकिन मेरी रेश आरयन है। आरयन कौम से मेरा संबंध है। मेरी उपासना इसलाम की हो सकती है लेकिन मेरा संबंध आरयन कौम से है। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कानों से सुना था, उनहोंने कहा था कि हमारा देश कितना अभाग्य है कि दूनो ने इन थयोरियों के बेस पर देश का बंटवारा हुआ और उसके बावजूद आज मैजोरिटी और माइनोरिटी का बावेल मचाया जा रहा है। जब मैंने उनके ये भाव सुने तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। अध्यक्ष महोदय, ये उनकी अन्तरात्मा के भाव थे। वह बड़ा निर्भीक व्यक्ति था। मैंने लोक सम्पर्क विभाग भाव का प्रयोग किया।

स्पीकर साहब, अगर यह विभाग थोड़ा प्रयत्न करता तो ओर भी जानकारी श्री छागला के बारे में मिल सकती थी। अध्यक्ष महोदय, वकालत पास करने के बाद श्री छागला मोहम्मद अली जिन्हा के जूनियर वकील या उनके सहयोगी वकील थे लेकिन जब जिन्हा ने पाकिस्तान की मांग की तो श्री छागला ने उनका साथ छोड़ दिया। आज हमें उस महापुरुष पर बड़ा भारी गौरव है जिसने इस देश की जनता के सामने इतना उंचा आदर्श रखा। अध्यक्ष महोदय, इस देश की मांओं ने ऐसे लालों को जन्म दिया है जिनके उपर यह देश गौरव करता है। स्पीकर साहब, स्वाधीनता के 34 वर्षों में यह देश इतना अभाग्य रहा है कि हमारे बीच में से इतने लोग उठते जा रहे हैं जो ऐसे वक्त में हमको दिशा दे सकते थे। इनकी योग्यता और शिक्षा की चर्चा बहुत हो सकती है। वास्तव में महापुरुष अपने गुणों से पहचाने जाते हैं ऐसे व्यक्तियों के गुणों की चर्चा तथा प्रशंसा जितनी भी की जाये उतनी ही थोड़ी है।

स्पीकर साहब, अभी विपक्ष के नेता बाबू मूलचन्द जैन जी ने श्री कपूर जो हाई कोर्ट के जज रहे, का जिक्र किया। अध्यक्ष महोदय, श्री कपूर बहुत ही भानदार व्यक्ति थे और बहुत ही नियम तथा मर्यादा के व्यक्ति थे।

स्पीकर साहब, इसी प्रकार से श्री वेकंटराव जो राज्य सभा के सदस्य थे उनका भी स्वर्गवास हो गया है। स्पीकर साहब, सरदार जसमत सिंह पंजाब में विधायक थे वे भी बहुत ही अच्छे

व्यक्ति थे। यह बड़े दुख और कशअ की बात है कि वे इतनी छोटी उमर में इस संसार से हमसे जुदा हो गये।

स्पीकर साहब, श्री राजेन्द्र सिंह 1957 में जब पंजाब और हरियाणा एक था उस समय पंजाब में विधायक के रूप में चुनकर आये थे। स्पीकर साहब, मैंने उस नवयुवक को ट्रेजरी बेंचिज पर बैठे हुये देखा था। मैं आज भी कांग्रेस के लोगों को ट्रेजरी बेंचिज पर बैठे हुये देखता हूं। स्पीकर साहब, आज तो कांग्रेसी है ही नहीं। अब तो हमारे मे से ही गये हुये कांग्रेसी बनने की कोशिश कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, उनके द्वारा दी गई इवेलए इन कमेटी की रिपोर्ट आज भी लाईब्रेरी में पडी है। अध्यक्ष महोदय, सरदार राजेन्द्र सिंह ने जिला परिशदों ओर अन्य लोकल बाडीज के बारे में जो रिपोर्ट दी वह उनकी हिम्मत और दिलेरी की मुह बोलती तस्वीर है उन्होंने उस समय सरदार प्रताप सिंह और भीमसैन सच्चर की कोई परवाह नहीं की और जो कुछ उन्होंने ठीक समझा वहीं रिपोर्ट दी। अध्यक्ष महोदय, बड़े साहस के साथ उन्होंने उस रिपोर्ट को हाउस में रखा और अध्यक्ष महोदय, उस समय की सरकार को उस रिपोर्ट के बारे में जवाब देना मुश्किल हो गया। वे एक बहत बड़े पार्लियामेंटरियन थे। वे विदेशों में भी गये। वे अकाली दल में भी रहे ओर कांग्रेस में भी रहे। उन्होंने कई बार दल बदला लेकिन स्पीकर साहब, वे बहुत ही भानदार आदमी थे।

स्पीकर साहब, श्रीमती सावित्री देवी, धर्मपत्नी श्री भगवतदयाल भार्मा, राज्यपाल मध्यप्रदे । एवं भूतपूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा का भी निधन हो गया है। हमसब को इस बात का बडा दुख है क्योकि पंडित जी हमारे ही एक नुमाइन्दे के रूप में बाहर विराजमान हैं भले आदमी हैं पता नहीं कब तक बाहर रहते हैरु यह दूसरी बात है आखिर है तो हमारे ही प्रतिनिध, उनको इस आयु में इस घटना से बडा रंज हुआ होगा। क्योकि श्रीमति सावित्री देवी जी ने स्वाधीनता संग्राम में उनका बडा साथ दिया था, इससिलये स्वाभाविक ही है कि पंडित जी को इस घटना से वास्तविक दुख होगा। श्रीमती सावित्री देवी जी ने पंडित जी को पारिवारिक उलझनों से मुक्त रख कर राष्ट्र और मजदूरों के कल्याण के लिये निरन्तर सहयोग दिया।

इसके साथ ही साथ स्पीकर साहब, अभी पांच चार नाम ओर इस लिस्ट में जोड दिये गये है। श्री अर्जुन अरोडा का नाम तो आपने भली-भांति सुना होगा। केन्द्र में कुछ लोग हुआ करते थे, जिनकी युवा टर्क कहा जाता था, श्री अर्जुन अरोडा उनमें से एक थे। बडे साहसी लोगों में से थें इसी तरह से कुछ राजनीतिक नेता ओर दूसरे कुछ लोग इस संसार से चले गये है। मैं अपनी व अपने दल की ओर से , इन दिवंगत आत्माओं के चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित करता हुआ श्रद्धांजली पे । करता हूं और जो यह प्रस्ताव लीडर आफ दि हाउस ने पे । किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती सुशमा स्वराज (अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, जिन स्वर्गवासी आत्माओं के प्रति मुख्यमंत्री महोदय ने भावुक प्रस्ताव सदन में रखा है उनके प्रति भावभीनी श्रद्धाजंलि अर्पित करने के लिये, आनी ओर अपने साथियों की ओर से खडी हुई हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं विरोध रूप में दो तीन व्यक्तियों का, महान विभूतियों का उल्लेख करना चाहूंगी। सबसे पहले श्री अलैक्सी कोसीगिन, भूतपूर्व प्रधान मंत्री, सोवियत संघ, जिनके देहावसान से मैं समझती हूं कि किसी एक देश को नहीं बल्कि समपूर्ण विश्व को हानि हुई है। भारत को तो इस हानि का विरोध रूप से अभाव महसूस होगा क्योंकि सोवियत भारत मैत्री स्थापित करने के लिये बहुत बडी कडी का काम अलैक्सी कोसीगिन जी ने किया और भारत के विकास के कामों में आर्थिक और तकनीकी सहयोग देकर के मैत्री के नये आयामों को कायम किया। अध्यक्ष महोदय, जिन पदों को श्री अलैक्सी कोसिगिन जी ने सुलभित किया, उनके बारे में विस्तार से मुख्य मंत्री महोदय ने यहां पर बताया है लेकिन सारी बातों को जानने के बाद यह लगता है कि श्री कोसीगिन विश्व के एक बहुत बडे स्टेट्समैन भी थे और इतने बडे स्टेट्समैन के इस मौके पर दुनियां से उठ जाने पर पूरे विश्व को उसकी हानि का अहसास होगा, इस बारे में कोई गुजांड़ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा नाम श्री मोहम्मद करीम छागला, भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री जी का आया है, जोकि अपनी जिनदगी में

जस्टिस छागला के नाम से जाने जाते थे। जो तफसीलात उनके बारे में यहां पर मुख्य मंत्री महोदय ने दी है, उनको जानने के बाद ऐसा लगता है कि उनका व्यक्तित्व बहुत विभिन्नताओं का मिश्रण था। अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर उनका व्यक्तित्व एक निष्पक्ष न्यायधीन, एक प्रबुद्ध राजनेता और एक योग्य प्रशासक के रूप में उभरा है। यहां पर उनकी दो तीन पुस्तकों का जिक्र भी आया। 'रोजिज इन दिसम्बर' में उनकी आत्म कथा हैं अध्यक्ष महोदय, अगर आप को कभी यह पुस्तक पढ़ने का अवसर मिले तो आप अवश्य पढ़िये। यह एक अभूतपूर्व किताब है, एक दिलचस्प और प्रेरणादायक पुस्तक है आप देखें कि इसका कितना असाधारण भीर्षक है 'रोजिज इन दिसम्बर'। दिसम्बर में अकसर गुलाब नहीं खिलता। इसलिये मैं कहूंगी कि जितना असाधारण इस पुस्तक का भीर्षक है, उतना ही असाधारण उनका अपना व्यक्तित्व था। अध्यक्ष महोदय, उनके जिस सैकुलर करैक्टर के बारे में डाक्टर मंगल सैन जी ने यहां सदन में बताया है, मैं उसके लिये डाक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगी कि अगर डाक्टर साहब उनके गारे में खुलकर अपने विचार न रखते तो भायद उनका यह पहलू छिपा हुआ रह जाता। अध्यक्ष महोदय, धर्म निरपेक्षता तो भायद उनमें जैसे कूट कूट कर भरी हुई थी और इस पूरे राष्ट्रीयता के आन्दोलन में ऐसे धर्म निरपेक्ष व्यक्तियों की आज बहुत जरूरत थी और ऐसे समय में श्री छागला जी का इस दुनिया से चले जाना एक बहुत बड़ी हानि का अहसास लेकर आयेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके बाद, मैं पंडित भगवत दयाल भार्मा जी की धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री देवी के बारे में अपने विचार रखना चाहूंगी। यहां पर उनके सार्वजनिक गुणों का ही जिक्र किया गया है लेकिन मुझे उनकी करीबता का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिये मैं उनके कुछ व्यक्तिगत गुणों के बारे में भी कहना चाहूंगी। अध्यक्ष महोदय श्रीमती सावित्री देवी एक बहुत सुघड गृहणी, एक बहुत ही स्नेही महिला थी। अध्यक्ष महोदय, एक भाग्य गाली औरीत की नि गानी है कि उस के माथे पर हमे ग ही रौनक रहे, उसके अधरों पर हमे ग ही मुस्कान खिलती रहे। पंडित जी के राजनीतिज्ञ होने के कारण सैंकड़ों लोगों का उन के घर पर आना जाना लगा रहता था लेकिन यह देखने की बात है कि कभी भी मिसे ल भगवतदयाल ने अपने माथे को मैला नहीं किय पंडित जी को तो फिर भी कभी कभी क्रेघ आ जाता था लेकिन अपनी जिस सौम्यता, अपने मधुर स्वभाव से वह पंडित जी को भान्त किया करती थी और एक ऐसी धर्म पत्नी के बिछुड जाने का, इस वृद्ध अवस्था में जो रंजिस या गम पंडित जी को होगा, उस में हम तमाम लोग भारीक होते हैं उन के जाने से पंडित जी को तो बहुत हानि हुई है लेकिन मुझे एक निजी हानि का अहसास हो रहा है यह भाब्द कहती हूई, मैं उन सारी दिंवगत आत्माओं के प्रति, जिन के बारे में भाोक प्रस्ताव मुख्य मंत्री महोदय ने रखा है, उनके भाोक संतप्त परिवारों को , अपनी व अपने दल के साथियों की और से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित

करती हुई आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप ने मुझे बोलने का समय दिया।

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मेंबरज, हाउस में स्वर्गवासी महानुभावों के बारे में जो भाोक प्रस्ताव तथा विचार रखे गये है, मैं उन के साथ अपने आप को भामिल करता हूँ। श्री अलैक्सी कोसीगिन जोकि सोवियत रूस के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, उन के बारे में काफी कुछ चर्चा हुई है 1971 की जो बंगला देा की लडाई हुई थी, उसमे जो हैल्प श्री कोसीगन साहब ने हिन्दुस्तान की, की थी, वह हमारे देा के लोग ओर हिन्दुस्तानी फौज कभी नहीं भूल सकती। जब बाहर से देा को खतरा होने की संभावना पैदा हुई थी उस वक्त सोवियत यूनियन ने अगोरेन्स दिया था और उस पर वह कायम भी रहा था कि अगर बाहर से कोई गड़बड़ हुई तो हम आप की मदद पर आने के लिये हमे तैयार रहेगें जिसकी वजह से बंगला देा में हिन्दुस्तानी फौज को बडी भानदार विक्टरी हुई थी। साहेबान, मेरे ख्याल में सारा हाउस इस से सहमत होगा कि यहां पर उनकी स्टेट पालिसी के बारे में, चाहे उनकी स्टेट पालिसी कुछ भी हो, यहां हरियाणा विधान सभा में कोई जिक करना उचित नहीं है। हम उनकी मौत पर अनक्वालीफाइड ग्रीफ और भाोक जाहिर करते है।

इसी तरह से श्री विलियम गोपालबा, जो कि कई वशों तक श्री लंका के प्रेजीडेंट रहे। उनहोने इण्डो-श्रीलंका फेन्डिग टाई को मजबूत करने के कलये एक बहुत बडा पार्ट प्ले किया।

उन्होंने नान-अलायनमेंट मूवमेंट और दूनिया में अमन कायम करने के लिये भारत को बडा कोआपरे टान दिया।

श्री मुहम्मद करीम छागला, जोकि एक माने हुये जूरिस्ट ओर पार्लियामेंटेरियन थे। उनहोने कई बडे पदों पर कार्य करते हुये दे ा की बडी भारी सेवा की हैं और सबसे बडी बात यह है कि वे सैकुलरिज्म के सिममबल थे ओर यूनाइटेड ने ान्ज में भारत के ऐ डेलीगेट के रूप में गये और दे ा की बडी सेवा की थी। श्री विश्णु राम मेथी जी ने आसाम के मुख्यमंत्री ओर तमिनाडु के राज्यपाल के रूप में रहकर दे ाकी काफी सेवा की । उन्होने दे ा की फीडम मूवमेंटस में भी बडा भारी पार्ट अदा किया था। जैसा कि अभी बाबू मूलचन्द जैन जी ने छागला साहब और विश्णु राम मेधी जी के बारे मे कहा है कि इन जैसे महानुभावों ने हमें एक बड़ा अच्छा रास्ता दिखाया है पर वह कलास आज काफी तेजी से हमारे दे ा मे से खत्म हो रही है। उन महानुभावों के जो प्रिंसीपल्ज, असूल है, उनके मुताबिक हम अपने जीवन और लाईफ स्टाइल को बनाने की को ि ा ा करें, मैं समझता हूं कि इससे बडी श्रद्धांजलि हम और क्या इनक` लिये अर्पित कर सकते है।

इसी तरह से हमारी पडोसी स्टेट पंजाब के एक नौजवान विधायक सरदार जसमत सिंह ढिल्लों के निधन पर हमें बडा दुख है कि उनहे इस जवानी की आयु में ही भगवान ने हमसे छीन लिया और उनको अपनी स्टेट की सेवा करने का पूरा मौका नहीं मिला।

इन सभी महान हस्तियों ने देश के इतिहास पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। और हम उनके निधन पर गहरा भाोक प्रकट करते हैं। मैं इस सदन की गहरी भावनाओं और हमदर्दी को भाोकजदा परिवारों तक पहुंचा दूंगा।

अब मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि इन स्वर्गवासी नेताओं के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिये हम खडे हो कर दो मिनट के लिये मौन धारण करे।

(इस समय दिवंगत आत्माओं के सम्मान में सदन ने खडे होकर दो मिनट का मौन धारण किया।)

अध्यक्ष द्वारा घोशणा

(1) पैनल आफ चेयरमैन

श्री अध्यक्ष: मैंबर साहेबान , हरियाणा विधान सभा के रूलज आफ (16.00 बजे) प्रोसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 13(1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को पैनल आफ चेयरमेन मे काम करने के लिये नोमिनेट करता हूँ:-

1. चौधरी हर स्वरूप बूरा,
2. चौधरी बीरेन्द्र सिंह,
3. श्री सुरेन्द्र सिंह, तथा
4. श्री बलदेव तायल।

(2) कमेटी आन पैटी ान्ज

श्री अध्यक्ष: हरियाणा विधान सभा के रूलज आफ प्रौसीजर एंड कंडक्ट आफ बिजनैस के रूल 286(1) के अधीन में निम्नलिखित सदस्यों को कमेटी आन पैटी ान्ज में कार्य करने के लिये नोमिनेट करता हूँ:—

1. कंवर विजय पाल सिंह (डिप्टी स्पीकर) पदेन सभापति
2. श्री बलदेव तायल
3. श्री फतेह चन्द विज
4. स्वामी आदित्यवे ा , तथा
5. चौधरी भाकरूला ।

सचिव द्वारा घोशणा

राज्यपाल/राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिये गये बिलों सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष: मैंबर साहेबान, अब सैकेटरी साहब कुछ अनाउसमेंट करेगें ।

सचिव: मैं उन बिलों को द ांने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने दिसम्बर, 1980 में हुये पिछले से ान के

दौरान पास किये थे तथा जिन पर राज्यपाल/राष्ट्रपति महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ।

Statement

1. The Punjab Agricultural, Produce Markets (Haryana Third Amendment and Validation) Bill, 1980.

2. The East Punjab, tractor Cultivation (Recovery of Charges) Haryana Repealing Bill, 1980.

3. The Haryana General Sales Tax (Amendment) Bill, 1980.

4. The Kurukshetra University (Second Amendment) Bill, 1980.

5. The Maharashi Dayanand University (Amendment) Bill, 1980.

6. The Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Fifth Amendment Bill, 1980.

7. The Haryana Appropriation (No. 5) Bill, 1980.

8. The Punhab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill, 1980.

बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की पहली रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष: मैबर साहेबान, अब मैं विभिन्न कार्यो के बारे में बिजनैस एडवाइजरी कमेटी द्वारा नियत केय गये टाईम टेबल की रिपोर्ट पे ा करता हूं।

“समिति की बैठक सोमवार, 9 मार्च 1981 को 11.00 बजे अग-मध्याहन माननीय अध्यक्ष महोदय के चैम्बर में हुई।

कुछ चर्चा के प चात समिति ने यह सिफारि ा की कि सोमवार, 9 मंगलवार, 10, बुधवार, 11, वीरवार, 12 भुकवार 13 तथा सोमवार 16 मार्च, 1981 को निम्नानुसार कार्य किया जायेगा:-

सोमवार, 9 मार्च, 1981 (राज्यपाल महोदय के अभिभाशण के तुरन्त आधा घटां बाद)

1. राज्यपाल के अभिभाशण की एक प्रति सदन की मेज पर रखना।
2. भाोक प्रस्ताव।
3. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट पे ा करना तथा स्वीकार करना।
4. वि ेशाधिकार मामलों के संबंध में वि ेशाधिकार समिति के दो प्रारंभिक प्रतिवेदन पे ाकरना तथा अंतिम प्रतिवेदन पे ा करने के लिये समय बढाना।

5. सदन की मेज पर कागज-पत्र रखना तथा पुनः रखना।

मंगलवार, 10 मार्च, 1981 (9.30 बजे प्रातः)

1. प्र नोत्तर काल।
2. सदन की मेज पर कागज-पत्र रखना।
3. (सरकारी) विधेयक प्रस्तुत करना/ प्रस्तुत करने की अनुमति लेना।
4. वर्ष 1975-76 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगे पेश करना।
5. वर्ष 1976-77 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों पेश करना।
6. राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

बुधवार 11 मार्च, 1981 (9.30 बजे प्रातः)

1. प्र नोत्तर काल।
2. राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का पुनरारम्भण।

वीरवार, 12 मार्च 1981 (9.30 बजे प्रातः)

1. प्र नोत्तर काल।

2. गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प।

3. पहले से प्रस्तुत किया गया विधेयक अर्थात् पंजाब ग्राम पंचायत (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1980 (स्वामी आदित्यवे 1, एम0एल0ए0 द्वारा)

भुव्ववार, 13 मार्च 1981 (9.30 बजे प्रातः)

1.प्र नोत्तर काल।

2. 1980-81 के अनुपुरक अनुमान (तीसरी किस्त) तथा उस पर प्राक्कलन समिति के रिपोर्ट पे 1 करना।

3. राजयपाल के अभिभाशण पर चर्चा का पुनरारम्भण तथा धन्यवाद प्रस्ताव पर मतदान।

भानिवार, 14 मार्च 1981

खाली दिन।

रविवार, 15 मार्च 1981

छुट्टी।

सोमवार, 16 मार्च 1981 (2.00 बजे मध्याहन-पचात)

1.प्र नोत्तर काल।

2. वर्ष 1981-82 का बजट पे 1 करना।

वित्त मंत्री (चौधरी खुरीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के साथ सहमत है।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के साथ सहमत है।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव न है-

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के साथ सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेशाधिकार मामलों के सम्बन्ध में प्रिविलिज कमेटी का प्रिलीमिनरी रिपोर्ट्स पेक्षा करना तथा अन्तिम रिपोर्ट्स पेक्षा करने के लिये समय बढ़ाना

1. 17 दिसम्बर, 1980 को स्वामी आदित्यवे एम.एल.ए. द्वारा चौधरी संत कंवर एम.एल.ए. के विरुद्ध लगाये आरोपों सम्बन्धी।

चौधरी रण सिंह (एकिंटग चेयरमैन, प्रिविलिज कमेटी): अध्यक्ष महोदय, मैं 17 दिसम्बर, 1980 को स्वामी आदित्यवे एम.

एल.ए. द्वारा चौधरी संत कंवर, एम.एल.ए. के विरुद्ध लगाये गये आरोपों सम्बन्धी मामले पर वि. शेषाधिकार समिति का प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूँ—

कि अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

वि. शेषाधिकार मामलों के सम्बन्ध में प्रिविलिज कमेटी का प्रिलिमिनरी रिपोर्टस पे. 1 करना तथा अन्तिम रिपोर्टस पे. 1 करने के लिये समय बढ़ाना

श्रीमती सुशमा स्वराज(अम्बाला छावनी): अध्यक्ष महोदय, अभी वि. शेषाधिकार समिति के कार्यकारी सभापति महोदय ने, स्वामी आदित्यवे ज्ञ जी ने जो आरोप श्री संत कंवर जी के खिलाफ लगाये थे, उस बारे में अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट पे. 1 की। लेकिन आज से कुछ दिन पहले एक नोटिफिके न जारी करके स्वामी आदित्यवे 1 जी को इस कमेटी का मेंबर बनाया गया है। मैं आप से यह जानना चाहती हूँ कि क्या कोई व्यक्ति अपनी ही

रौंगज को ठीक करने के लिये न्यायाधी 1 के पद पर बैठ सकता है?

श्री अध्यक्ष: अगर उनके बारे में कोई मामला कमेटी में आता है तो स्वामी जो को खुद विदद्दा कर जाना चाहिये। ज बवह मामला डिसक्स होगा तो वे विदद्दा कर जाएंगे। (गोर)

Shrimati Sushma Swaraj: Nomination itself is wrong. Nobody can be judge of his own wrongs. अध्यक्ष महोदय, इसमें विदद्दा करने वाली बात नहीं है जब उनका प्रिविलिज मो इन पैडिंग है, तो उनको खुद ही हट जाना चाहिये। यह प्रिविलिज मो इन सदन के पिछली सत्र में आया था लेकिन उन को इस कमेटी का मेंबर बनाने का जो नोटिफिके इन हुआ है। वह 10-15 दिन पहले हुआ है। इसलिये उनको इस कमेटी का मेंबर नहीं बनाया जाना चाहिये था। अगर मो इन आने से पहले वे मेंबर होते तब तो बात अलग बात थी। एक प्रिविलिज मो इन जिस व्यक्ति के खिलाफ पैडिंग हो उसी व्यक्ति को प्रिविलिज कमेटी में नौमिनेट करना हाउस की डिस-रिस्पैक्ट है। प्रिविलिज कमेटी में मेंबर नौमिनेट करने के भी रूलज है But this nomination itself is wrong. Nobody can be dudge of his own wrongs. (Interruptions). क्या कोई आदमी अपने ही 'रौंगज' को देखने के लिये न्यायाधी 1 के पद पर बैठ सकता है? (व्यवधान)

श्री बीरेन्द्र सिंह: इनको रिजाईन करना चाहिये।
(व्यवधान)

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): स्पीकर साहब, वि शेषाधिकार समिति के पास यही एक केस नहीं है, और भी केसिज हैं जब यह केस कमेटी के सामने आता है तो स्वामी जी कमेटी से उठकर बाहर चले जाते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुशमा स्वराज: स्पीकर साहब, उनको नोमीनेट ही नहीं करना चाहिये था क्योंकि वे कमेटी के मॅबर होने के नाते अपने कुलीग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अध्यक्ष माहेदय, अगर ये (स्वामी जी) पहले से ही मॅबर होते तो बात सही थी, लेकिन इनका अपना इ डू प्रिविलिज कमेटी के पास जाने के बाद इनको नोमीनेट करना ठीक नहीं लगता। क्या सारी कांग्रेस पार्टी में से कोई और आदमी नहीं मिला जो इस कमेटी में नौमीनेट हो सकता था?

चौधरी राम लाल वधवा: आन ए प्वायंअ आफ आर्डर, सर। स्पीकर साहब, इस कमेटी के कुछ मॅबर मिनिस्टर बन गये थे और उन्होंने कमेटी से रिजाइन कर दिया और उसके बाद स्वामी जी को नौमीनेट कर दिया। (व्यवधान)

Mr. Speaker This is not a point of order. (Interruptions.) Please come to your point.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूँ। मेरा सवाल यह है कि जैसे कि मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि कमेटी के सामने स्वामी जी का प्रिविलिज इ डू, आने पर वे कमेटी से बाहर चले जाते हैं बात यह नहीं, बात यह

है कि जब उनका मामला प्रिविलिज कमेटी के सामने पहले से ही पेंडिंग है तो उनका इस कमेटी में नौमीनेट करना ठीक नहीं है। यह चीज प्रिविलिज कमेटी के रूलज के अगेन्स्ट है। इसलिये वे मँबर नहीं बन सकते। इस लकूने को दूर करने के दोही तरीके है, एक तो यह है कि या तो आप इनकी नौमीने इन विदड्रा कर लें या वे खुद ग्रेसफुली रिजाइन करे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कमेटीज की जो नोमीने इन होती है, वह विधान सभा की तरफ से स्पीकर करता है and I will not allow any discussion on it. As far as this question is concerned, it is an established practice that जो मँबर उस कमेटी में बैठे है, अगर उनको कोई केस उसी कमेटी में डिस्कस होता है तो कंसर्ड मँबर उस कमेटी की मीटिंग में से उठकर बाहर चला जाता है लेकिन और किसी केस में उनको डिबार नहीं यिका जा सकता कि वेकिसी दूसरे केस को डिस्कस न करे। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, अगर वे न उठे तो क्या हो सकता है?(व्यवधान)

Mr. Speaker: For any request that you want to make, please come to my Chamber.

Shri Baldev Tayal: Speaker Sahib, through you I want to make an appeal to Swami Aditya Vesh to rise to the occasion and in the name os justice and fiar play, he should resign from the Committee. (Interruptions).

श्री अध्यक्ष: ठीक है, थोड़ी बहुत डिसकान तो मैंने अलाउ कर दी बजट the question under discussion regarding granting of extension of time for the presentation of the final report to the House and not about the membership of the Committee. इसके लिये मैं स्वामी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे मेरे चैंबर में आएं और आप वहां पर उनसे इस सम्बन्ध में डिस्कस कर लें। (व्यवधान)

Now I will put the motion to the vote of the House.

प्र न है—

कि अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2. 10 जुलाई, 1980 को इस माहान सदन के माननीय सदस्यों के लिये क्षोभक तथा अपमानजनक भाशा प्रयोग करने के सम्बन्ध में डा० मंगल सैन एम.एल.ए. के विरुद्ध अभिकथित विशेषाधिकार भंग करने के प्र न सम्बन्धी।

स्वामी आदित्यवे । (एक्टिंग चेयरमैन, प्रिविलिज कमेटी): अध्यक्ष महोदय, मैं 10 जुलाई, 1980 को इस महान सदन के माननीय सदस्यों के लिये क्षोभक तथा अपमानजनक भाशा प्रयोग करने के सम्बन्ध में डा० मंगल सैन एम.एल.ए. के विरुद्ध अभिकथित विशेषाधिकार भंग के प्र न सम्बन्धी मामले पर

विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रारम्भिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

स्पीकर साहब, प्रिलिमिलिरी रिपोर्ट पेश करने की तथा समय बढ़वाने की आवश्यकता इसलिये पडी कि.....
.....(व्यवधान)

Dr. Mangal Sein: Me. Speaker, Sir, he has no business to say like this. (Interruptions)

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Speaker Sahib, he should only present the report and say that more time should be given for the presentation of the final report of the Committee. (Interruptions) इनको ऐसा नहीं कहना चाहिये था। क्या ऐसे मेंबर प्रिविलिज कमेटी में किसी को इन्साफ दे सकते हैं।

— चेयर के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिये गये।

Mr. Speaker: I would request the hon. Member to move for extension of time for the presentation of the final report बाकी की जो दोस्ताना गुफ्तगू है वह बाहर कर लें।
(व्यवधान)

स्वामी आदित्यवेग: मैं प्रस्ताव करता हूँ—

कि अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाये।(व्यवधान)

Dr. Mangal Sein: Speaker Sahib, I highly object to what he is saying? (Interruptions). -----
(व्यवधान)

Mr. Speaker: Doctor Sahib, I did not listen to what he has said?

Dr. Mangal Sein: Sir, what he has said is also a breach of privilege.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Yes Sir, it also becomes a question of breach of privilege against Swami Aditya Vesh. (Interruptions)

Mr. Speaker: Any extrenuous remarks will be expunged.

चौधरी राम लाल वधवा: मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ कि इनके खिलाफ ब्रीच ऑफ प्रिविलिज मूव की जाये क्योंकि ये मेंबर को विदाउट ऐनी रीजन किटिसाइज कर रहे हैं, यह ब्रीच आफ प्रिविलिज बनता है। (व्यवधान)

Mr. Speaker: I have already expunged the extrenuous remarks.

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ—

कि अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाए।

डा० मंगल सैन (रोहतक): स्पीकर साहब, आज ही आपके चैम्बर में लीडर आफ दि हाउस और बाबू मूलचन्द जैन जी ने कहा कि हाउस काडैकोरम और डीसैंसी बनी रहनी चाहिये ,लेकिन यहां पर प्रिविलिज कमेटी में इन्साफ करने वाले मँबर, प्रिविलिज कमेटी की रिपोर्ट पे 1 करते समय.....
.....स्पीकर साहब, आपे होते हूये क्या यह ठीक है? Speaker sahib, they are compelling us to pay in the same coin. (Interruptions)

Mr. Speaker: Doctor Sahib, these remarks have already been expunged.

चौधरी राम लाल वधवा (करनाल): स्पीकर साहब, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज हाउस का पहला दिन भुरु हुआ हैं पिछली बार भी इसी प्रकार की बातें होती रही ओर रूलिंग पाअर की तरफ से यही कहा जाता रहा कि अपोजी इन वाले हाउस को चलने नहीं देते जिसकी वजह से हाउस में डैकोरम नहीं होता। मैं आपके द्वारा प्रार्थना करना चाहता हूं कि डैकोरम कायम किया जाए। अगर हम भी इसी तरह करने लगेगें तो ये लोग फिर कहेंगें कि अपोजी इन वाले हाउस को ठीक ढंग से नहीं चलने देते। परन्तु मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने भेपाल में यह निर्णय लिया था कि असैम्बली की कार्यवाही ठीक ढंग से चलाई जाए ओर रूलिंग पार्टी से भी एक रिकवैस्ट की जाए कि वह भी कार्यवाही को ठीक ढंग से चलाने में सहायता

करे ओर मैं चाहूंगा कि सारे मैम्बर्ज हाउस का डैकोरम रखें और एक दूसरे को किटीसाईज न करें।

श्री अध्यक्ष: मैं हाउस के सामने यह भी रिपोर्ट करना चाहता हूँ कि बिजनैस ऐडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में लीडर आफ दि हाउस, लीडर आफ दि आपोजि ान, लीडर आफ कि भारतीय जनता पार्टी और लीडर आफ दि जनता पार्टी सबने मुझे यह अ योरैस दी है कि वे हाउस का डैकोरम रखेंगे। हरियाणा हिन्दुस्तान का एक लीडिंग प्रान्त हैं मैं चाहूंगा कि हाउस का डैकोरम रखने में भी हम दूसरे प्रान्तों का मार्ग दि न करेगें।

मुख्य मंत्री (चौधरी भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चौधरी राम लाल जी ने सदन के सामने जो प्रस्ताव रखा है मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ और मैं रूलिंग पार्टी की तरफ से आपको वि वास दिलाता हूँ कि हाउस की मर्यादा भंग करने के लिये इधर से कोई बात नहीं होगी लेकिन इनकी तरफ से भी कोई बात नहीं होनी चाहिये। (व्यवधान) स्पीकर साहब, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ कि रूलिंग पार्टी हाउस के डैकोरम को कायम रखेगी।

श्री अध्यक्ष: प्र न है—

कि अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय अगले सत्र की प्रथम बैठक तक बढ़ाया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर है।

Mr. Speaker: After the voting, what is your point of order?

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, बहुत जरूरी प्वायंट आफ आर्डर है।

Mr. Speaker: Under which rule?

Shrimati Sushma Swaraj: Under rule 286 अध्यक्ष महोदय, नियम 286 के तहत नौमीने इन आफ कमेटी ओन पैटी एन्ज का जिक्र है इसमें स्पैसिफिकली यह कहा गया है कि कमेटी के चार सदस्यों में एक सदस्य पैनल आफ चेयरमैन में से होगा लेकिन आपने जो कमेटी नोमिनेटी की है, उसमें पैनल आफ चेयरमेन का कोई सदस्य नहीं लिया गया है।

Mr. Speaker: That is a slip on my part. Instead of Shri Hira Nand Arya, it should be Shri Baldev Tayal. (Interruptions) Thank you very much for pointing it out. It shows that you are paying attention. गवर्नर ऐड्रेस के बारे में भी अपने एक-दो अच्छी बातें प्वायंट आउट की है जो रह गई थी।

श्रीमती सुशमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, अफसोस यह है कि जब भी मैं कुछ कहने के लिये खड़ी होती हूँ तो इधर से

इंटरू ांज भूरू हो जाती है और भारे में सारी बात ही गायब हो जाती हैं ।(विघन)

श्री अध्यक्ष: आपको सुनने के लिये ये उत्सुक रहते है ।
(हंसी)

श्रीमती सुशमा स्वराज: भारे में न तो कहने का मजा आता है और न ही सुनने का आनन्द आता है(विघन)

गृह मंत्री (श्री कन्हैया लाल पोसवाल): अध्यक्ष महोदय, आज साबित हो गया कि कभी कभी ये बडी सही बात करती है ।
(हंसी)

सदन की मेज पर रखे गये /पुनः रखे गये कागज—पत्र

वित्त मंत्री (चौधरी खुर गीद अहमद): स्पीकर साहब, मैं हरियाणा विधान सभा (सदस्य—सुविधा) सं गोधन अध्यादे 1, 1981 (1981 का हरियाणा अध्यादे 1 सं01) मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष: क्या यह नहीं कहा जा सकता कि ये सब पेपर्ज पढे समझे जाएं । (विघन)

चौधरी खुर गीद अहमद: स्पीकर साहब, इन कागजों की संख्या 12 हैं एक तो मैंने मेज पर रख दिया हैं अगर आपकी इजाजत हो तो 2 से 11 तक के कागज पढे समझ लिये जाएं और 12 वें को मैं पढ देता हूं ।

चौधरी राम लाल वधवा: ऐसा कोई रूल नहीं है। यह तो एक-एक पढ़ना पड़ेगा।

Chaudhri Khurshid Ahmed: That was a suggestion from the Speaker.

श्री अध्यक्ष: मेरा यह ख्याल है कि अगर ये पढ़े समझे जाएं तो हाउस का कुछ समय बच सकता है। इसके अलावा रूल अगर न भी हो तो हाउस की सैंस से ऐसा किया जा सकता है। अगर हाउस चाहता है कि सारे पढ़ें जाये तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

आवाजें: पढ़े समझ लिये जाएं।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

चौधरी खुर शिद अहमद: अध्यक्ष महोदय, संख्या 2 से 11 तक के कागज-पत्र मेज पर रखे/पुन रखे समझे जाये। 12वें को मैं पढ़ देता हूँ।

1. हरियाणा राजय विधान मंडल (निरर्हता-निवारण) सं गोधन अध्यादे 1, 1981(1981 का हरियाणा अध्यादे 1 सं0 2)।

2. हरियाणा आव यक सेवा-अनुरक्षण (सं गोधन) अध्यादे 1, 1981(1981 का हरियाणा अध्यादे 1 सं0 3)।

3. हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) अधिनियम, 1979 की धारा 8 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार

हरियाणा विधान सभा (सदस्य सुविधा) प्रथम सं गोधन नियमावली, 1980 के संबंध में सामान्य प्र शासन विभाग अधिसूचना सं. जी0एस0आर0 129/एचए9/79एस0/8/एम्ड(1)/80, दिनांकित 11दिसम्बर, 1981.

4. हरियाणा विधान सभा (सदस्य-सुविधा) अधिनियम, 1979 की धारा 8 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा विधान सभा (सदस्य सुविधा) प्रथम सं गोधन नियमावली, 1980 के संबंध में सामान्य प्र शासन विभाग अधिसूचना सं. जी0एस0आर0 15/एचए9/79एस0/8/एम्ड(1)/81, दिनांकित 10 फरवरी, 1981.

5. हरियाणा होम गार्डज अधिनियम, 1974 की धारा 11 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा होम गार्डज नियमावली, 1980 के संबंध में गृह विभाग अधिसूचना सं. जी0एस0आर0 55/एच0ए031/74एस0/11/1980, दिनांकित 6 मई, 1980.

6. राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 की धारा 38(3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार 31.3.80 को समाप्त हुये वर्ष की हरियाणा वित्त निगम की 13वीं वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखें।

7. हरियाणा तथा पंजाब कृषि वि विद्यालय अधिनियम 1970 की धारा 39(3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार

1978-79 के लिये हरियाणा कृषि वि विद्यालय, हिसार की वार्षिक रिपोर्ट।

8. हरियाणा तथा पंजाब कृषि वि विद्यालय अधिनियम 1970 की धारा 34(5) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार 1978-79 के लिये हरियाणा कृषि वि विद्यालय, हिसार की वार्षिक रिपोर्ट।

9. हरियाणा साधारण विक्रय कर अधिनियम, 1973 की धारा 64 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा साधारण विक्रय कर (तृतीय सं गेधन) नियमावली, 1980 के संबंधी आबकारी तथा कराधान विभाग अधिसूचना सं. जी0एस0आर0 32/एच0ए020/73एस0/64/एम्ड (3)/1980, दिनांकित 18 मार्च, 1980.(पुनः रखा गया)

10. हरियाणा प्राइवेट महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण)अधिनियम, 1978 की धारा 10 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा प्राइवेट महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण)नियमावली, 1980 के संबंध में शिक्षा विभाग अधिसूचना सं. जी0एस0आर0 18/एच0ए026/78एस0/10/1980, दिनांकित 21 फरवरी, 1980. (पुनः रखा गया)

स्पीकर साहब, मैं हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (सेवा-सुरक्षा) अधिनियम, 1979 की धारा 16 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार हरियाणा सम्बद्ध महाविद्यालय (सेवा-सुरक्षा)

नियमावली, 1980 के संबंध में गृह विभाग अधिसूचना सं.
जी0एस0आर0 / एच0ए015 / 79एस0 / 16 / 1980, दिनांकित 24
अप्रैल, 1980 सदन की मेज पर रखता हूँ।

श्री अध्यक्ष: अब हाउस कल दिनांक 10-3-1981 सुबह
9.30 बजे तक के लिये ऐडजर्न किया जाता है।

(16.27 बजे)

(तत्प चात सदन मंगलवार, दिनांक 10-3-1981 प्रातः
9.30 तक के लिये स्थगित हुआ।)